



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

सकरौरा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार







# कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



सकरौरा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव  
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

### जिला प्रशासन

सुश्री नेहा शर्मा, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), गोंडा  
सुश्री एम. अरुन्मोली, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), गोंडा

### वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ  
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक  
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री वसुन्धरा सिंह, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला, सुश्री स्वाति गुप्ता

### सकरौरा ग्राम पंचायत

श्री प्रयागदत्त गुप्ता, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

### पंचशील विकास ट्रस्ट

श्री ध्रुव कुमार, श्री राम तेज यादव, श्री आलोकित कश्यप, सुश्री रिंकी वर्मा, सुश्री रिंकी यादव

## डिज़ाइन एवं लेआउट

### वसुधा फाउंडेशन

श्री नरेश मेहरा, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया







**नेहा शर्मा**  
आई.ए.एस.



**जिलाधिकारी, गोण्डा**

कार्यालय : 05262 – 230125  
आवास : 05262 – 232600  
: 05262 – 231525  
मोबाइल : 9454417537  
E-mail : dmgon@nic.in


### संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जनपद गोण्डा की **ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण**, विकास खण्ड करनैलगंज को जलवायु सजग क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जैसे-जैसे हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमें जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई हैं। यह जलवायु चुनौतियों का मुकाबला करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारा समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सभी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु सजगता को बढ़ावा दें।

यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्रवाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी भूमि फाउंडेशन, नई दिल्ली तथा स्थानीय साझेदार संस्था गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.), गोरखपुर द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

  
( नेहा शर्मा )





एम0 अरुन्मोली  
(आई0ए0एस0)



मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा  
कार्यालय: 05262-230100  
मोबाइल नं0: 9454419046

### संदेश

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण विकास खण्ड-कनैलगंज जनपद गोण्डा की कार्य योजना विकसित करने में पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

इस प्रकार मैं एवं हमारी ग्राम पंचायत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है जिसमें कार्ययोजना सहायक होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसे मॉडल तैयार करना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगी बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा।

उक्त कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेंगी। साथ ही प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकेगा, और स्थायी लक्ष्यों को अपना सकेगी। एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकेगी जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत होगा बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत होगा।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान देने के लिये आप सभी को धन्यवाद के साथ योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव की आशा करती हूँ।

शुभकामनाओ सहित।

भवदीय,

(एम0 अरुन्मोली)



# प्रयागदत्त

प्रधान

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण

वि० ख० करनैलगंज

जिला-गोण्डा

निवास

रेलवे स्टेशन के सामने

करनैलगंज-गोण्डा

मो०-9453599000

पत्रांक.....*सी.सी.*



दिनांक.....*27/06/24*.....

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण विकास खण्ड करनैलगंज

जनपद- गोण्डा

## आगार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रपान ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण जनपद गोण्डा की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और मावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए समुदायिक सहभागिता के साथ साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी. ई. ए. जी.) गोरखपुर का तथा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गए आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइए हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद।

(प्रधान)

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण  
विकास खण्ड  
वि० ख०-सकरौरा ग्रामीण  
विकास खण्ड-करनैलगंज  
जनपद-गोण्डा





# विषय-वस्तु

1	<b>कार्यकारी सारांश</b>	1
2	<b>ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल</b>	4
	▪ सकरौरा ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ सकरौरा में सुविधाएं	9
3	<b>कार्बन फुटप्रिंट</b>	10
4	<b>व्यापक मुद्दे</b>	11
5	<b>प्रस्तावित संस्तुतियां</b>	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	19
	3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	24
	4. सतत और उन्नत गतिशीलता	29
	5. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	33
	6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	37
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	47
6	<b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>	51
7	<b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b>	57
8	<b>आगे की राह</b>	65
9	<b>अनुलग्नक</b>	66

## चित्र

चित्र 1	: सकरौरा ग्राम पंचायत, जिला गोंडा का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: सकरौरा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	6
चित्र 3	: सकरौरा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2019	6
चित्र 4	: सकरौरा में परिवारों की आय के स्रोत	6
चित्र 5	: सकरौरा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6	: सकरौरा में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: सकरौरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: सकरौरा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9	: सकरौरा में फसल के कुल क्षेत्रफल का फसलवार वितरण	8
चित्र 10	: 2022 में सकरौरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11	: 2022 में सकरौरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



# कार्यकारी सारांश

गोंडा जिले में सकरौरा ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। सकरौरा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना, ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्ययोजना एक ग्राम पंचायत-विशिष्ट रोडमैप/दिशा प्रदान करती है जो लचीला बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है, साथ ही, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ भी प्राप्त होते हैं।

यह कार्ययोजना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गई है। सकरौरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे सकरौरा ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

कार्ययोजना<sup>1</sup> प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए सकरौरा ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधारभूत रूपरेखा बनाने और सकरौरा के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली।

## दृष्टिकोण

### प्राथमिक सर्वेक्षण टूल तैयार करना

**सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह:** ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (एफजीडी), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

### डेटा विश्लेषण एवं योजना विकास

- जीपी प्रोफ़ाइल का विकास: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक विस्तृत जीपी प्रोफ़ाइल विकसित की गई थी। इस प्रोफ़ाइल में सकरौरा की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं शामिल हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और एचआरवीसीए में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट: सकरौरा में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था
- प्रस्तावित अनुशांसाएं: चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर सकरौरा के लिए गतिविधियां तैयार की गईं। इन गतिविधियों में उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सकरौरा की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना के विकास के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी।

\* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के इस्तेमाल से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और गंभीर जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA) के पहलू सम्मिलित हैं

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव, 17 बस्तियां और 1,148 घर हैं जिनकी कुल जनसंख्या<sup>2</sup> 6,138 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि और पशुपालन सम्मिलित हैं। एक बेसलाइन मूल्यांकन से पता चलता है कि सकरौरा ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट ~4,000 tCO<sub>2</sub>e है।<sup>3</sup>

सकरौरा ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बांध, जल निकासी और चैनल सुधार, वर्तमान जल निकायों के कार्याकल्प जैसे बाढ़ संबंधी उपायों को लागू करना।
- जलवायु अनुकूल फसलों, जैविक उर्वरकों और कृषि-वानिकी प्रथाओं को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- घरेलू ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक इंधन पर निर्भरता कम करना
- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना जैसे कि सौर ऊर्जा चालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप, सोलर रूफटॉप स्थापना व घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्सचर आदि।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केंद्रित चर्चाओं, क्षेत्र सर्वेक्षणों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उभरने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अनुशंसाएं प्रस्तावित की गई हैं। अनुशंसाओं में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाने, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता, और उन्नत आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन अनुशंसाओं के तहत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

सकरौरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे सकरौरा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

यह कार्ययोजना निम्नलिखित द्वारा सकरौरा जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को सकरौरा जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कार्याकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बचाई गई/कम की गई कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष 3,027 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO<sub>2</sub>e) होने का अनुमान है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,30,000 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹50 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित हैं। इससे आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹18 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी राशियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को संभावित रूप से सम्मिलित करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 के आंकड़ें: कुल जनसंख्या - 6,138


3 इसमें जीपी के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़े और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)

# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



















## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## सकरौरा

## सकरौरा ग्राम पंचायत एक नज़र में\*

	<b>स्थान</b>	कर्नेलगंज ब्लॉक, गोंडा जिला	<b>भूमि उपयोग<sup>6</sup></b>	कृषि भूमि: 640.2 हेक्टेयर
	<b>कुल क्षेत्रफल</b>	1,094.78 हेक्टेयर		वन भूमि: 10 हेक्टेयर
	<b>संघटन</b>	1 राजस्व गांव और 17 बस्तियां		ग्राम पंचायत की भूमि : 24.8 हेक्टेयर
	<b>कुल जनसंख्या<sup>4</sup></b>	6,138		शेष भूमि : 419.78 हेक्टेयर(आवासीय क्षेत्र और जल निकाय)
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	3,239	<b>कृषि-जलवायु क्षेत्र<sup>7</sup></b>	उत्तर पूर्वी मैदान
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	2,899		<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु की स्थिति: उच्च वर्षा के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु</li> <li>न्यूनतम तापमान: 4.9 डिग्री सेल्सियस</li> <li>अधिकतम तापमान: 44.2 डिग्री सेल्सियस</li> <li>औसत वार्षिक वर्षा-1,240 मिमी</li> <li>मिट्टी: मक्का, और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त रेतीली दोमट मिट्टी</li> </ul>
	<b>कुल परिवार<sup>5</sup></b>	1,148		<b>जिले की समग्र भेद्यता<sup>8</sup></b>
	<b>पंचायत अवसंरचना</b>	5 - (पंचायत भवन, 1 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)		कम
	<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b>	कृषि एवं पशुपालन		<b>जिले की क्षेत्रीय भेद्यता</b>
	<b>जल संसाधन:</b>	12 तालाब, 8 कुएं, सरयू नदी		<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा भेद्यता: बहुत अधिक</li> <li>कृषि भेद्यता: अधिक</li> <li>आपदा प्रबंधन की भेद्यता: अधिक</li> <li>ग्रामीण विकास भेद्यता: अधिक</li> <li>वन भेद्यता: अधिक</li> <li>जल भेद्यता: अधिक</li> <li>स्वास्थ्य भेद्यता: मध्यम</li> </ul>

\* योजना की तैयारी के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण से डेटा (फरवरी, 2023)


4 जनगणना 2011 के आंकड़े: कुल जनसंख्या - 6,138; पुरुष - 3,239; महिला - 2,899

5 876 पक्के घर और 272 (मिट्टी, फूस, टिन) कच्चे घर

6 प्राथमिक फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

7 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

8 यूपी एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: सकरौरा ग्राम पंचायत, जिला गोंडा का भूमि उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>9</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता के आंकड़ें (तापमान और वर्षा) दर्शाते हैं कि 1990 और 2019 के बीच क्षेत्र में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें)। उसी समय सीमा के दौरान, सालाना वर्षा में थोड़ी वृद्धि हुई, जिसका संभवतः यह तात्पर्य है कि कम दिनों में तीव्र वर्षा होना (चित्र 3 देखें)। हालांकि, आईएमडी के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके अलावा, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया, संपूर्ण विश्व की भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।<sup>10</sup> आईपीसीसी<sup>11</sup> और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय<sup>12</sup> द्वारा इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि भी की गई है।

इसके अलावा, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 35 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 30 दिनों की कमी देखी गई है। उनसे यह भी पता चला कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिनों की कमी आई है।<sup>13</sup>

ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


9 बहराईच स्टेशन से लिया गया दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़े और दैनिक वर्षा के आंकड़े; वर्ष 1992, 2012, 2013 और 2014 के लिए वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; वर्ष 1992 और 2017 का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

10 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


11 AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023(ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

12 भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>

13 योजना तैयार करने के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े



चित्र 2: सकरौरा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019




चित्र 3: सकरौरा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2019

## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि और पशुपालन आय के प्राथमिक स्रोत हैं, जिनमें से लगभग 76 प्रतिशत परिवार संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद गैर-कृषि दिहाड़ी मजदूरी (11 प्रतिशत) से जुड़े हुए हैं। कुछ अन्य परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों आदि में संलग्न हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण से घरेलू स्तर की आय के अनुमानों से पता चला है कि बड़ी संख्या में परिवार (37 प्रतिशत) प्रति वर्ष 50,000 रुपये से कम कमाते हैं, जबकि कम संख्या में परिवार (10 प्रतिशत) 5,00,000 रुपये से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।


राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 68 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से, लगभग 103 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड<sup>14</sup> हैं (चित्र 6)।



चित्र 4: सकरौरा में परिवारों की आय के स्रोत

14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>






चित्र 5: सकरौरा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान

चित्र 6: सकरौरा में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

सकरौरा ग्राम पंचायत में, 75 कामकाजी महिलाएं हैं, जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण में बताया गया है। ये महिलाएं ज्यादातर पशुपालन और कृषि में लगी हुई हैं। रोजगार के अन्य स्रोतों में गैर-कृषि दिहाड़ी मजदूरी सम्मिलित हैं। कम संख्या में महिलाएं सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों में लगी हुई हैं (चित्र 7 देखें)। यहां 20 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया<sup>15</sup> महिलाएं हैं, जो ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का केवल ~3 प्रतिशत है। फ्रील्ड सर्वेक्षण यह भी पता चलता है कि ग्राम पंचायत में 12 स्वयं सहायता समूह हैं।




चित्र 7: सकरौरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

## कृषि


ग्राम पंचायत में 46 प्रतिशत परिवार अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में संलग्न हैं<sup>16</sup> (चित्र 8 देखें)।

15 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार हैं जिनमें महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

16 ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी जमीन के मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के स्वामित्व वाले किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।



**चित्र 8:** सकरौरा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



**चित्र 9:** सकरौरा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

सकरौरा में कृषि क्षेत्र 640 हेक्टेयर है।<sup>17</sup> ग्राम प्रधान और फ्रील्ड सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी से संकेत मिला है कि वर्तमान कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से पर खेती नहीं की जाती है। इसलिए, वर्तमान सकल फसल क्षेत्र 640 हेक्टेयर है (चित्र 9 देखें)। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान, गन्ना और मक्का हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ और सरसों हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत वर्षा जल, ट्यूबवेल, तालाब और बोरवेल हैं। ग्राम पंचायत में 150 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप, 52 डीजल पंप, 10 सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप हैं।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत के 30 प्रतिशत परिवार पशुपालन में संलग्न हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन संख्या 1,250 (50 गाय, 800 भैंस और 400 बकरियाँ) हैं।

## प्राकृतिक संसाधन

फ्रील्ड सर्वेक्षण के अनुसार सकरौरा में 12 तालाब और 8 कुएं हैं। सरयू नदी सकरौरा ग्राम पंचायत से होकर बहती है। ग्राम पंचायत के पास 2.02 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि भी है। सकरौरा में कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जाती हैं, ये वृक्षारोपण कुल 10 हेक्टेयर में है। ग्राम पंचायत में आम, नीम, बरगद, गुलर के पेड़, सागौन, और नीलगिरी प्रमुख प्रजातियाँ हैं।<sup>18</sup>

<sup>17</sup> ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के अनुसार आंकड़े

<sup>18</sup> फ्रील्ड सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

## सकरौरा में सुविधाएं

### बिजली और एलपीजी

- बिजली तक पहुंच: 71% घर
- LPG तक पहुंच- 47% घर



### जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु जल का मुख्य स्रोत: भूजल है
- 45% घरों में पाइप से जलापूर्ति होती है



### अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा प्राप्त हुआ।
- घरेलू शौचालय का कवरेज: 74%



### गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 30B)
- निकटतम रेलवे स्टेशन, कर्नेलगंज-2 किमी
- निकटतम बस स्टेशन, बानपुर-2 किमी
- निकटतम डाकघर -2 किमी
- निकटतम बैंक-4 किमी
- करीबी किसान मंडी- 2 किमी
- सरकारी राशन की दुकान-1 किमी



### शैक्षिक संस्थान

- 1 प्राथमिक विद्यालय, गोडियनपुरवा - 1 किमी
- 1 कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल- 2 किमी
- डिग्री कॉलेज, कर्नेलगंज-2 किमी
- इंटर कॉलेज, कर्नेलगंज-2 किमी

### स्वस्थ संस्थान


- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 2 किमी
- जिला अस्पताल - 22 किमी



ग्रामीण क्षेत्रों का कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बनने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस के अनुमानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुशासित प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, सकरौरा ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया जाता है (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने सकरौरा के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से होने वाला उत्सर्जन, तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाला उत्सर्जन सम्मिलित है। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>19</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस का उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 10: 2022 में सकरौरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान लगभग 55 प्रतिशत था। इस क्षेत्र में परिवहन प्रमुख उत्सर्जक (1,361 tCO<sub>2</sub>e) था, इसके बाद बिजली की खपत (~550 tCO<sub>2</sub>e), घर में खाना पकाना (~242 tCO<sub>2</sub>e), आवासीय जनरेटर (~49.2 tCO<sub>2</sub>e), और डीजल पंप (53.17 tCO<sub>2</sub>e) थे। कृषि क्षेत्र कुल उत्सर्जन का 41 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें धान की खेती (~894.7 tCO<sub>2</sub>e) और पशुधन (~659.67 tCO<sub>2</sub>e) से होने वाला उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का प्रमुख कारण था। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान लगभग 4 प्रतिशत था।



चित्र 11: 2022 में सकरौरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

19 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

**ग्रा**म पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन/ आधारभूत रूपरेखा तैयार करने के लिए किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, विस्तृत मुद्दों को सुझावों/अनुशंसाओं के अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

### व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जून से अक्टूबर के महीनों में बाढ़ की लगातार घटना से क्षेत्र के निचले भागों में कुछ बस्तियों में जलजमाव की समस्या होती है।
- मई से अगस्त के महीने में ग्राम पंचायत में सूखे जैसी स्थिति रहती है।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन की पद्धतियाँ।
- सीमित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं।
- प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव।
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता।
- खराब सड़क बुनियादी ढांचे के कारण सीमित अंतर गांव कनेक्टिविटी।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। हस्तक्षेपों का वर्णन चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों<sup>20</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है<sup>21</sup>। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियां निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

### कार्ययोजना में संस्तुतियां निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. सतत और उन्नत गतिशीलता
5. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची बनाई गई है जो भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं और ग्राम पंचायत में भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन प्रयासों को प्रदेश की किसी योजनाओं या कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण इन प्रयासों के हेतु वित्त कि उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर व निजी स्रोतों के द्वारा की जा सकती है। इस कारण इन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

20 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियां।



## 1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>21</sup>

- सकरौरा ग्राम पंचायत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत भूजल पर निर्भर है।
- वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में जून से अक्टूबर के महीने में बाढ़ और वर्ष 2018, 2019 और 2022 में मई से अगस्त के महीने में सूखे जैसी स्थिति की घटनाएं हुई हैं।
- विशेष रूप से मानसून के मौसम में सकरौरा में जलजमाव प्रमुख चिंताओं में से एक है। यह ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी को प्रभावित करता है, निचले इलाकों में कचरा जमा हो जाता है, जल जनित बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है और पेयजल स्रोत दूषित हो जाता है।<sup>22</sup> अकुशल और खराब तरीके से रखरखाव वाले जल निकासी के बुनियादी ढांचे के कारण यह समस्या और अधिक बढ़ गई है।
- सकरौरा में 12 तालाब हैं, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है तथा वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें साफ करने और उनका कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता है।
- भूजल पर निर्भरता व 2018 और 2022 के बीच सूखे और बाढ़ की लगातार घटनाएं पानी के संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती हैं।<sup>23</sup>

सकरौरा में जलवायु सम्बंधित भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित अनुशासण प्रस्तावित हैं।

21 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

22 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

23 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर



## जल निकायों का रखरखाव

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों की सफाई, डिसिल्टिंग और बंध लगाना</li> <li>2. तालाबों को जलीय कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उनकी सफाई करना</li> <li>3. हैंड पंप लगाना</li> <li>4. तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाना।</li> <li>5. अपवाह को रोकने तथा सिंचाई और घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिधारण तालाबों (मानव निर्मित तालाबों) का निर्माण</li> <li>6. जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का क्षमता निर्माण।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों के चारों ओर पेड़ लगाना</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार</li> <li>3. समुदाय एवं अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का नियमित रखरखाव</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 तालाबों की सफाई और गाद निकाला जाना<sup>24</sup></li> <li>2. 6 तालाबों को जलीय कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उनकी सफाई करना<sup>25</sup></li> <li>3. 16 हैंडपंप लगाए गए<sup>26</sup></li> <li>4. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना (जल निकायों चारों ओर)</li> <li>5. चिन्हित निचले इलाके में 5 प्रतिधारण तालाब का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 तालाबों का रखरखाव</li> <li>2. 6 जलीय कृषि तालाबों का रखरखाव</li> <li>3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ लगाए गए</li> <li>4. चिन्हित निचले इलाके में 10 प्रतिधारण तालाबों का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 तालाबों का रखरखाव</li> <li>2. 6 जलीय कृषि तालाबों का रखरखाव</li> <li>3. आवश्यकतानुसार चरण 1 की गतिविधियों का विस्तार एवं रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य			

24 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए HRVCA देखें

25 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए HRVCA देखें

26 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए HRVCA देखें



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों की सफाई, डिसिल्टिंग: ₹32,00,000</li> <li>2. जलीय कृषि के लिए 6 तालाबों की मरम्मत: ₹10,00,000</li> <li>3. लगाए गए हैंड पंप: ₹5,00,000</li> <li>4. जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित: ₹12,70,000</li> <li>5. 5 प्रतिधारण तालाब (300 घन मीटर क्षमता) = ₹35,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹82 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 तालाबों का रखरखाव: ₹18,75,000</li> <li>2. 6 तालाबों का रखरखाव: ₹22,50,000</li> <li>3. जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित: ₹12,70,000</li> <li>4. 10 प्रतिधारण तालाब (300 घन मीटर क्षमता) = ₹70,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1.11 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 तालाबों का रखरखाव: ₹18,75,000</li> <li>2. 6 तालाबों का रखरखाव: ₹22,50,000</li> <li>3. 15 प्रतिधारण तालाबों का रखरखाव: ₹7,50,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹48.5 लाख</p>
--	--	---



## जल निकासी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जलजमाव को रोकने/कम करने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत।</li> <li>2. पानी के बहिर्वाह के लिए साइफन स्थापित करना</li> <li>3. नई नालियों का निर्माण</li> <li>4. डाइवर्ज़न चैनलों का निर्माण</li> </ol>	<p>नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव</p>	<p>नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मौजूदा नालियों की सफाई</li> <li>2. पानी के बहिर्वाह के लिए 4 साइफन स्थापित करना</li> <li>3. विशिष्ट बस्तियों के आधार पर नए जल निकासी नेटवर्क का निर्माण</li> <li>4. अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बस्ती और कृषि क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए डायवर्सन चैनलों का निर्माण</li> </ol>	<p>नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव</p>	<p>नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव</p>

## अनुमानित लागत

1. 4 साइफन की लागत: ₹20,00,000
2. आवश्यकता के अनुसार नए नालों और डाइवरज़न चैनलों की लागत

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## वर्षा जल के संचयन (आरडब्ल्यूएच) के अभ्यास

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंचायती राज संस्थान भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>2. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1500 वर्ग फीट से अधिक के भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच के बुनियादी ढांचे की स्थापना।</li> <li>2. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना।</li> <li>2. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>
लक्ष्य	5 पंचायत भवनों में आरडब्ल्यूएच - 10 घन मीटर की भंडारण क्षमता वाले पुनर्भरण गड्ढों की स्थापना।	245 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना।	621 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना।
अनुमानित लागत	<p>आरडब्ल्यूएच : ₹1,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹1,75,000</p>	<p>आरडब्ल्यूएच : ₹85,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹85,75,000</p>	<p>आरडब्ल्यूएच : ₹2,17,35,000</p> <p>कुल लागत: ₹2,17,35,000</p>



## भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>भूजल प्रबंधन के लिए रिचार्ज पिट का निर्माण</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र           <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संरक्षण की जरूरत</li> <li>मौजूदा जल संसाधनों का प्रबंधन</li> </ul> </li> <li>जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC), निर्माण कार्य समिति (CWC) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) का क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>चिन्हित किए गए जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक पुनर्भरण गड्ढे/रिचार्ज पिट खोदना</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>VWSC, CWC और SHG द्वारा जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों के रखरखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों का निरंतर रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य	60 रिचार्ज पिट खोदना	65 रिचार्ज पिट की खुदाई	
अनुमानित लागत	रिचार्ज पिट: ₹21,00,000 कुल लागत: ₹21,00,000	रिचार्ज पिट: ₹22,75,000 कुल लागत: ₹22,75,000	

## मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कॉर्पोरेट समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित RO जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



## 2. सतत कृषि

### संदर्भ एवं मुद्दे

- सकरौरा में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 640 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 46% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 30% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी के मौसम में गेहूं (~135 हेक्टेयर), गन्ना (~102 हेक्टेयर), धान (~263 हेक्टेयर), सरसों (~80 हेक्टेयर), मक्का (~65 हेक्टेयर) और सब्जियां (~60 हेक्टेयर) उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं।<sup>27</sup>
- ग्राम पंचायत में वर्षों 2018, 2019 और 2022 में आमतौर पर मई से अगस्त<sup>28</sup> के दौरान सूखा पड़ा है, जिससे फसल खराब हो गई और जल असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई।
- पानी की कमी के कारण धान की बुवाई का समय जून के मध्य सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है। गेहूं के मामले में, बारिश में देरी के कारण बुआई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य सप्ताह तक स्थानांतरित हो गया है।<sup>29</sup>
- पिछले 5 वर्षों में, अनियमित वर्षा, गर्म हवा के साथ-साथ फसल में लगने वाले कीटों और बीमारियों के कारण फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान की मात्रा लगभग 10,800 क्विंटल उपज (धान, गेहूं और गन्ना) या लगभग 1.14 करोड़ रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी से पुष्टि) का है।
- उपलब्ध योजनाओं की पर्याप्त जानकारी के अभाव में किसानों को फसल एवं पशुधन बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि और पशुपालन में नुकसान और जोखिम से बचने के लिए किसानों को फसल और पशुधन बीमा योजनाओं को अपनाने में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- सकरौरा में किसान प्रति वर्ष लगभग 24 टन यूरिया, 30 टन DAP तथा अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 53 टन CO<sub>2</sub>e ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। सकरौरा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।<sup>30</sup>
- जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला कि कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- फ्रील्ड सर्वेक्षण से पता चलता है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसान बेहद खराब मौसम की घटनाओं के दौरान जोखिम का प्रबंधन करने में विफल रहते हैं।

उपर्युक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

27 सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

28 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

29 जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया

30 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया



## जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> <li>बाढ़ के दौरान फसल को बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों के आसपास पेड़ों लगा कर बांध का निर्माण या मेड़बंधी</li> <li>जहां संभव हो वहां खेत तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देना</li> <li>धान की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाना तथा फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष बीजित चावल (डीएसआर) की किस्मों<sup>31</sup> को अपनाना</li> <li>बाजरे की खेती को अपनाना</li> <li>किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार</li> <li>अधिक खेत तालाबों का निर्माण</li> <li>सूखा के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार</li> <li>बाजरा और फलियों जैसी सूखे के प्रति सहनशील फसलों के साथ फसल चक्रण और मिश्रित फसल उगाना</li> <li>किसानों को उनकी फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल जारी रखना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>सूखा के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>73 हेक्टेयर कृषि भूमि (गन्ना, सरसों और सब्जियों के अंतर्गत कृषि भूमि का 30%) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू किए जाना</li> <li>250 हेक्टेयर में पेड़ों समेत मेड़बंधी बनाया जाना (कृषि के कुल क्षेत्रफल का 50%)</li> <li>जहां तक संभव हो, 300 घन मीटर प्रति क्षमता वाले 5 से 10 खेत तालाब का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>96 हेक्टेयर कृषि भूमि (गन्ना, सरसों और सब्जियों के अंतर्गत अतिरिक्त 40% कृषि भूमि) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू किए जाना</li> <li>सभी 250 हेक्टेयर कृषि भूमि (कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों से मेड़बंधी किया जाना</li> <li>जहां तक संभव हो, 15-20 खेत तालाबों का निर्माण</li> </ol>

31 प्रत्यक्ष बीजित चावल (डीएसआर) वाली किस्में जैसे NDR-97, NDR359, NDR-80, NDR118; <https://kvk.icar.gov.in/Contingencyplan/Gonda8bc6e021-9f1a-4fc4-a5d3-84b15446f166.pdf>

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई: ₹73,00,000</li> <li>मेड़बंधी: ₹ 2,37,150</li> <li>खेत तालाब: ₹4,50,000 से ₹9,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹84 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई: ₹96,00,000</li> <li>मेड़बंधी: ₹ 2,37,150</li> <li>खेत तालाब: ₹13,50,000 से ₹18,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1.16 करोड़</p>	<p>सूक्ष्म सिंचाई: ₹73,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹73,00,000</p>
--	--	---



## प्राकृतिक खेती को अपनाना

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

### लक्ष्य

### अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> <li>» प्रशिक्षण और प्रदर्शन</li> <li>» नर्सरी और स्थानीय बीज बैंक तैयार करना</li> <li>» जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जाना</li> <li>» बाजार से जुड़ाव स्थापित करना</li> </ul> </li> <li>मिश्रित फसल, फसल चक्रण, गीली घास से ढकना, शून्य जुताई जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)</li> <li>चरण I में कार्यान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> </ol>	<p>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने का 100% विस्तार</p>
	96 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	256 हेक्टेयर (40%) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	शेष 288 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹2,37,21,600</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹2.37 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹6,32,57,600</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹6.33 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹7,11,64,800</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹7.12 करोड़</p>



## सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना</li> <li>पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक/पैरा-वेट के रूप में प्रशिक्षित करना</li> <li>पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>2 पैरा-वेट का प्रशिक्षण<sup>32</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और सतत पालन प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

32 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या



## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), UOPRO बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और पूर्ण प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (NCOF और RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- फसल-उपरांत नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीत-भंडारण सुविधा की स्थापना एवं संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, FPO, SHG और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, सकरौरा में सतत कृषि में लगे किसानों, FPO, SHG और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, CSO और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- CIPM - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, गोंडा



### 3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

#### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में विभिन्न गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट<sup>33</sup> लगभग 348 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से ~200 किग्रा प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल / जैविक अपशिष्ट और ~ 148 किग्रा प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है।
- फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों और सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान बंद नालियों के कारण जलजमाव होता है जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है<sup>34</sup>।
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बढ़ी मात्रा भी ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को बढ़ा रही है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 1,250 है (जिसमें गाय, भैंस और बकरी सम्मिलित हैं) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 12.56 टन प्रतिदिन है जिसे सकरौरा में कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।<sup>35</sup>

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

33 आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

34 जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया

35 यह मानते हुए कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर करती हैं।



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>संग्रह, पृथक्करण और भंडारण सुविधा के लिए ग्राम पंचायत-स्तरीय भण्डारण केंद्र/रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) सुविधा की स्थापना: बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए</li> <li>कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन और कर्मचारियों की नियुक्ति करना:           <ul style="list-style-type: none"> <li>» घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग किये गए कचरे का घर-घर से संग्रह</li> <li>» घरों से लेकर ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>चयनित स्थानों (बाजार, दुकान, चाय की दुकान आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना</li> <li>पंचायत, स्वयं सहायता समूह (SHG), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और MSME के बीच साझेदारी स्थापित करना।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>ग्राम पंचायत-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर यूनिट की स्थापना</li> <li>मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्नलिखित का रखरखाव           <ul style="list-style-type: none"> <li>» पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं</li> <li>» इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>» स्थापित किये गए कचरे के डिब्बे</li> </ul> </li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>

लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,148 घर (100 प्रतिशत) RRC सुविधा के अंतर्गत</li> <li>1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन</li> <li>चयनित स्थानों पर 40 कूड़ेदान लगाना</li> <li>पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, और MSME, SHG, अनौपचारिक रैगपिकर्स और स्थानीय स्कैप डीलरों के बीच कचरे के संग्रह/परिवहन के लिए साझेदारी बनाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना</li> <li>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदान</li> <li>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>RRC सुविधा: ₹5,00,000</li> <li>1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन: ₹1,05,000</li> <li>16 कूड़ेदान: ₹2,40,000</li> </ol> कुल लागत: ₹8,45,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत			



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना।</li> <li>जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यमों की स्थापना (अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना" अनुभाग देखें)</li> </ol>	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 वर्मीकम्पोस्ट और 20 नाडेपम्पोस्ट पिट की स्थापना</li> <li>घरेलू कचरे से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद (जैविक): प्रति दिन 100 किलो</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाना/ नए कम्पोस्ट पिट स्थापित करना</li> <li>100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरे का उपचार होना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार पुनर्भरण गड्ढे का निर्माण</li> <li>कम्पोस्ट पिट का रखरखाव</li> </ol>

## अनुमानित लागत

100 वर्मीकम्पोस्ट और 20 नडेप कम्पोस्ट पिट की लागत:  
₹4,00,000<sup>36</sup>

कुल लागत: ₹4,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

### लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:           <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)</li> <li>छात्र एवं युवा समूह</li> <li>समुदाय के सदस्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान</li> </ul> </li> <li>साझेदारी मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना" अनुभाग देखें</li> </ol>	<p>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम</li> <li>पिछले चरणों की सफलता का इस्तेमाल इस पहल को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने हेतु मॉडल के रूप में किया जा सकता है</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>प्लास्टिक वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100 महिलाओं की भागीदारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा सहभागिता:           <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 200 महिलाएं</li> <li>अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा सहभागिता:           <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 300 महिलाएं</li> <li>अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी</li> </ul> </li> </ol>

<sup>36</sup> अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर फंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



## 4. सतत और उन्नत गतिशीलता

### संदर्भ एवं मुद्दे

- सकरौरा में कुल 421 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 300 - दोपहिया वाहन, 28 कार, 5 जीप, 20 ऑटो-रिक्शा और 43 ट्रैक्टर।<sup>37</sup>
- इसके अलावा ग्राम पंचायत में 20 ई-रिक्शा हैं
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~475 किलो लीटर (kL) डीजल और ~94 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण ~1,361 tCO<sub>2</sub>e उत्सर्जन हुआ है।<sup>38</sup>
- इसके अतिरिक्त, फ्रील्ड सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत में संपर्क सड़कों के कई हिस्से जलजमाव से प्रभावित हैं। इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की आवश्यकता है है।



### मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़क को ऊंचा करना और इंटरलॉकिंग का कार्य</li> <li>नई संपर्क सड़क का निर्माण</li> </ol>	सड़क अवसंरचना का रखरखाव और आवश्यकतानुसार मरम्मत	यदि आवश्यक हो तो सड़क के बुनियादी ढांचे का निरंतर रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>सरयू डिग्री कॉलेज से गोडियनपुरवा तक सड़क की ऊंचाई बढ़ाना और इंटरलॉकिंग का काम<sup>39</sup></li> <li>विशिष्ट स्थान पर संपर्क सड़क का निर्माण<sup>40</sup></li> </ol>	सड़कों का नियमित और समय पर रखरखाव/मरम्मत	सड़कों का नियमित और समय पर रखरखाव/मरम्मत

37 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

38 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

39 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

40 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

## अनुमानित लागत

1. सड़क RCC/ इंटरलॉकिंग: ₹12,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
2. नई संपर्क सड़क का निर्माण: ₹10,00,000		
कुल लागत: ₹ 22 लाख		



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (IPT) को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं
लक्ष्य	मौजूदा डीजल ऑटोरिक्शा को बदलने के लिए ग्राम पंचायत के IPT बेड़े में 20 ई-ऑटोरिक्शा जोड़े गए	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे गए	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे गए
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत <sup>41</sup> : लगभग ₹3,00,000  उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 प्रति वाहन  20 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹57,60,000  GHG उत्सर्जन में कमी : 39 tCO <sub>2</sub> e <sup>42</sup>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

41 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या उससे ज्यादा होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/सीड कैपिटल/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

42 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति वाहन GHG उत्सर्जन में कमी का अनुमान 1.95 tCO<sub>2</sub>e प्रति वाहन लगाया गया है। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से उत्सर्जन में कमी आएगी और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने यहां तक कि हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में सहायता करेगा।





## ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना</li> <li>उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना</li> <li>ई-ट्रैक्टर और ई-गुड्स वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना (आजीविका अनुभाग में वर्णित)</li> </ol>	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक का क्रय	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर का क्रय	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर का क्रय
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000</li> <li>5 ई-गुड्स कैरियर: ₹25,00,000 – ₹50,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹55 लाख– ₹80 लाख</p>	बाजार दर के अनुसार लागत	बाजार दर के अनुसार लागत

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन<sup>43</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत।
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

## वित्त क अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और OSR
- सीएसआर के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण।

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए)

43 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी हिस्से में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक हैं, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए



## 5. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में 2.02 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग हरियाली गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। यहां मौजूद वृक्ष प्रजातियों में आम, नीम, बरगद और गूलर सम्मिलित हैं।<sup>44</sup>
- ग्राम पंचायत में 10 हेक्टेयर का चिह्नित वन क्षेत्र है। ग्राम पंचायत में 10 हेक्टेयर भूमि पर कृषि, सामाजिक और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गई हैं। प्रमुख प्रजातियाँ सगुन, नीलगिरी और चिनार हैं।

सकरौरा ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेंगे।



### हरित क्षेत्र में सुधार

#### चरण

#### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित<sup>45</sup> वृक्षारोपण गतिविधियाँ :               <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>46</sup> (5 छात्रों का चयन)</li> <li>देशी फलदार वृक्ष लगाकर <b>खाद्य वन</b> का निर्माण</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव</li> <li><b>बाल वन</b><sup>47</sup> के सृजन के साथ अतिरिक्त पौधरोपण</li> <li>किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना</li> <li><b>आरोग्य वन</b> की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव - बाल वन और अन्य वृक्षारोपण</li> <li>कुल ~ 195 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत<sup>48</sup></li> </ol>

44 फ्रील्ड सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

45 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

46 स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

47 नए माता-पिता को उनके बच्चे को जन्म देने के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें उनके बच्चों की देखभाल के साथ-साथ इन पौधों की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

48 सब्जी और गेहूँ के अंतर्गत लगभग 195 हेक्टेयर कृषि भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है

<p>2. <b>आरोग्य वन</b> तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण</p> <p>3. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» वन एवं हरित आवरण का महत्व</li> <li>» वृक्षरोपण और देखभाल कैसे करें</li> </ul>	<p>5. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण</p>	<p>3. आरोग्य वन का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित की गई</p> <p>4. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण</p>
<p>1. ग्राम पंचायत में तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों के आसपास सामान्य और लुप्तप्राय वृक्षों के 1,000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) पृथक्करण क्षमता<sup>49</sup>: 15 से 20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub> से 10,000 tCO<sub>2</sub></p> <p>2. आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित की जाए।</p>	<p>1. 1,000 से 1,500 पौधे लगाना की पृथक्करण क्षमता: 15-20 सालों में 7,000 tCO<sub>2</sub> से 12,500 tCO<sub>2</sub></p> <p>2. आरोग्य वन की स्थापना की गई एवं रखरखाव</p> <p>3. 78 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त है) 7,800 पेड़ लगा कर सागौन के वृक्षरोपण की पृथक्करण क्षमता 20 वर्षों में: 43,680 tCO<sub>2</sub> से 78,000 tCO<sub>2</sub></p>	<p>1. अतिरिक्त 1,000 से 1,500 पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 सालों में 7,000 tCO<sub>2</sub> से 12,500 tCO<sub>2</sub></p> <p>2. शेष 117 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाई जाए, 11,700 पेड़ लगाना पृथक्करण क्षमता 20 वर्षों में: 65,520 tCO<sub>2</sub> से 1,17,000 tCO<sub>2</sub></p> <p>3. आरोग्य वन का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना अनुभाग में दिया गया है)</p>
<p>वृक्षरोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000</p> <p>कुल लागत: ₹12.7 लाख</p>	<p>1. वृक्षरोपण की कुल लागत: ₹15,87,500</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹31,20,000</p> <p>कुल लागत: ₹47 लाख</p>	<p>1. वृक्षरोपण की कुल लागत: ₹15,87,500</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹46,80,000</p> <p>कुल लागत: ₹62.67 लाख</p>

49 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान



## नर्सरी की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देकर बागवानी नर्सरी स्थापित करना</li> <li>नर्सरी को बनाए रखने और चलाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना</li> </ol>	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करने में सहायता के लिए ग्राम पंचायत भूमि पर एक बागवानी नर्सरी स्थापित करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹2,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



## जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> <li>समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</li> <li>जागरूकता को सुदृढ़ करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</li> <li>जागरूकता को सुदृढ़ करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता विकास</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत <sup>50</sup> : ₹25,000		

50 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम


- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ0प्र0 राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ0प्र0 राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' प्रदान करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ
  - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्ष के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- BMC के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (OSR) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



## 6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

### संदर्भ एवं मुद्दे

- सकरौरा ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 6,71,261 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में लगभग 71% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24x7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 6 घंटे तक बिजली कटौती होती है।<sup>51</sup>
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 12 डीजल जनरेटर चल रहे हैं<sup>52</sup> जो सालाना लगभग ~19 किलोलीटर ईंधन का उपयोग करते हैं।
- सिंचाई के लिए 52 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है<sup>53</sup> जो प्रतिवर्ष लगभग ~20 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में CFL (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और अन्य कम दक्षता वाले इलेक्ट्रिकल फिक्चर और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 60 सौर स्ट्रीट लाइटों और 4 सौर हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता व्यक्त की है।<sup>54</sup>
- सकरौरा में ~47% परिवार खाना पकाने के लिए रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं, जबकि ~500 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 2022-2023 में घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण के कारण लगभग 600 व्यक्ति सांस की बीमारियों से प्रभावित हुए।<sup>55</sup> इसलिए, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि घरों के अंदर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में थर्मल आराम का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि अन्य के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, सकरौरा में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

51 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

52 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया

53 फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

54 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

55 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया



## सोलर रूफटॉप की संस्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>पंचायती राज/सरकारी भवनों पर छतों पर सौर पैनल लगाना<sup>56</sup></p> <p>(पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट जूनियर हाई स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना</li> <li>सभी नई इमारतों (चरण II के दौरान निर्मित) पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना</li> <li>सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पक्के घरों में रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना को बढ़ाना</li> <li>सभी नई इमारतों (चरण III के दौरान निर्मित) पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना</li> <li>सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव</li> </ol>
	<p>सोलर रूफटॉप की स्थापित क्षमता :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» पंचायत भवन: 325 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» प्राइमरी स्कूल, गोडियनपुरवा: 225 वर्गमीटर छत का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» कम्पोजिट जूनियर हाई स्कूल: 350 वर्ग मीटर ;10 kWp</li> <li>» सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: 200 वर्गमीटर; 10 kWp</li> <li>» आंगनवाड़ी केंद्र: 30 वर्ग मीटर ; 5 kWp</li> </ul> <p>इस चरण में स्थापित कुल सोलर रूफटॉप क्षमता: 45 kWp</p> <p>उत्पन्न हुई बिजली: 60,264 kWh प्रति वर्ष (165 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>रोका गया GHG उत्सर्जन: 49 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>350 पक्के घरों (40% मौजूदा पक्के घर) की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना<sup>57</sup></li> </ol> <p>सोलर रूफटॉप की स्थापित क्षमता: 3 kWp</p> <p>इस चरण में स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 1,051 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन क्षमता:<sup>58</sup> 14,07,767 kWh प्रति वर्ष (3,857 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>रोक गया GHG उत्सर्जन: 1,154 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष 526 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा पक्के घरों का 100%)</li> </ol> <p>इस चरण में स्थापित सौर छत क्षमता: 1,576 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन क्षमता: 21,11,650 kWh प्रति वर्ष<sup>59</sup> (प्रति दिन 5,785 यूनिट)</p> <p>रोका गया GHG उत्सर्जन: 1,731 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष<sup>60</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य			

56 4 पंचायती राज संस्थाओं में सौर ऊर्जा स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट घंटा तक सीमित

57 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है, जिसमें 70% छत क्षेत्रफल

58 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान बिजली खपत से 2 गुना अधिक है

59 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान बिजली खपत से 3 गुना अधिक है

60 उत्सर्जन में कमी से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी



चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	लागत: ₹22,50,000	लागत: ₹5,25,60,000	लागत: ₹ 7,88,40,000
	कुल लागत: ₹22.5 लाख	सांकेतिक सब्सिडी <sup>61</sup> : ~40% (राज्य + CFA)	सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + CFA)
		प्रभावी लागत: ₹3.15 करोड़	प्रभावी लागत: ₹4.73 करोड़



## कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स जागरूकता बढ़ाने का कार्य।	बागवानी के अंतर्गत (जैसे सब्जियां) कृषि क्षेत्र में एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना	बागवानी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक का विस्तार
	किसानों में कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर)	2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर)
लक्ष्य		उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष; 1,835 यूनिट प्रति दिन	उत्पन्न बिजली : 6,69,600 kWh प्रति वर्ष; 1,835 यूनिट प्रति दिन
अनुमानित लागत		रोका गया GHG उत्सर्जन: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e	रोका गया GHG उत्सर्जन: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e
		कुल लागत <sup>62</sup> : ₹5 करोड़	कुल लागत: ₹5 करोड़

61 सब्सिडी परिवर्तनशील होती हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और वर्तमान समय में सटीक नहीं हो सकती है

62 प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि PV की लागत कम हो रही है। हालाँकि, इसकी लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान उच्चतर स्तर पर लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों में भी फसल चक्रण अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी में उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



## सौर पंप

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

### लक्ष्य

### अनुमानित लागत

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<p>ग्राम पंचायत में मौजूदा डीजल पंप सेट को सोलर पंप से बदलना*</p> <p>* यदि सोलर पंप व्यवहार्य नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (EESL द्वारा किसान ऊर्जा डाक पंप) पर विचार किया जा सकता है</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में और अधिक डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्पों से बदलना</li> <li>सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में मौजूदा इलेक्ट्रिक पम्प सेटों को सोलर पम्पों से बदलना</li> <li>सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना</li> </ol>
	<p>26 मौजूदा डीजल पंप सेटों को सोलर पंप से बदलना (मौजूदा डीजल पंपों का 50%)</p> <p>स्थापित क्षमता: 143 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: प्रति वर्ष 1,91,505 kWh</p> <p>डीजल की खपत में घटौती: 10,140 लीटर/वर्ष</p> <p>रोका गया GHG उत्सर्जन: 27 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</p>	<p>26 और डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदलना (मौजूदा डीजल पंपों का बचा हुआ 50%)</p> <p>स्थापित क्षमता: 143 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: प्रति वर्ष 1,91,505 kWh</p> <p>डीजल की खपत में घटौती: 10,140 लीटर/वर्ष</p> <p>रोका गया GHG उत्सर्जन: 27 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</p>	<p>150 इलेक्ट्रिक पंपों को सोलर बनाना (अर्थात् चरण I, II और III में 100% मौजूदा डीजल पंपों को बदलना)</p> <p>स्थापित क्षमता: 825 kW</p> <p>उत्पन्न बिजली: प्रति वर्ष 11,04,840 kWh (3,027 यूनिट प्रति दिन)</p>
	<p>कुल लागत: ₹78,00,000- ₹1,30,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹31,20,000 - ₹52,00,000</p>	<p>कुल लागत: ₹78,00,000- ₹1,30,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹31,20,000 - ₹52,00,000</p>	<p>कुल लागत: ₹4,50,00,000- ₹7,50,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1,80,00,000 - ₹3,00,00,000</p>



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>परिवारों को पशुधन और जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना</li> <li>घरों में उन्नत चूल्हे का प्रावधान (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले व सबसे कम आय वाले परिवार)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे</li> <li>बायोगैस संयंत्र का नियमित रखरखाव</li> <li>घरों में उन्नत चूल्हे का प्रावधान (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले व सबसे कम आय वाले परिवार)</li> </ol>	बायोगैस संयंत्र का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में 25 घन मीटर बायोगैस सामुदायिक मॉडल संयंत्र की स्थापना<sup>63</sup></li> <li>250 घरों में उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% घर जहाँ वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अधिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना</li> <li>250 घरों में उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)</li> </ol>	बायोगैस संयंत्र का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोगैस संयंत्र: ₹15 लाख</li> <li>उन्नत चुल्हा: ₹7,50,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹18 लाख</p>	<p>उन्नत चूल्हे: ₹7,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹7,50,000</p>	

63 गोबर/चारा स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर 25 घन मीटर क्षमता वाला सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में दैनिक गाय के गोबर का उत्पादन ~12,560 किलोग्राम/दिन है। पहले चरण में, बायोगैस संयंत्र के लाभार्थी 425 परिवार होंगे, जो मुख्य रूप से पशुपालन में लगे हुए हैं, जो संयंत्र के लिए फीडस्टॉक की आपूर्ति भी करेगा। बायोगैस संयंत्र का स्थान लाभार्थी परिवारों के पास होना चाहिए।



## चरण

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

## लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी पंचायत/सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</li> <li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम एक CFL बल्ब को LED बल्ब या LED ट्यूब लाइट से बदलना</li> <li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को LED ट्यूब लाइट से बदलना</li> <li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>CFL बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का उपयोग बढ़ाना</li> <li>प्रत्येक घर में 2 ट्यूब लाइटों के स्थान पर LED ट्यूब लाइट से बदलने की योजना</li> <li>घरों में 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना</li> <li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।</li> </ol>	<p>घरों में पारंपरिक पंखे की जगह ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी पंचायती राज संस्थाओं/सरकारी भवनों में मौजूदा 100% फिक्स्चर्स को LED ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना।</li> <li>सभी घरों में 1,148 मौजूदा CFL को LED ट्यूब लाइट से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li> <li>सभी घरों में 1,148 मौजूदा ट्यूब लाइटों को LED ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रति घर 1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी घरों में अतिरिक्त 2,296 मौजूदा CFL को LED ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रत्येक घर में 2)</li> <li>सभी घरों में 2,296 ट्यूब लाइटों को LED ट्यूब लाइट से बदलना (2 प्रति घर)</li> <li>सभी (100%) घरों में 1,148 ऊर्जा कुशल पंखे बदले जाएंगे (प्रत्येक घर में 1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी घरों में 1,148 से अधिक ट्यूब लाइटों को LED ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li> <li>सभी (100%) घरों में 1,148 ऊर्जा कुशल पंखे बदले जाएंगे (प्रत्येक घर में 1)</li> </ol>

64 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर।

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>LED बल्ब की लागत: ₹80,360</li> <li>LED ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,52,560</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹3,32,920</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LED बल्ब की लागत: ₹1,60,720</li> <li>LED ट्यूब लाइट की लागत: ₹5,05,120</li> <li>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹12,74,280</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹19 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LED ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,52,560</li> <li>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹12,74,280</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹15 लाख</p>
---	---	--



## सोलर स्ट्रीट लाइट्स

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<b>सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर LED स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना</li> <li>सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों के आसपास तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>नई सोलर LED स्ट्रीट लाइटें लगाना</li> <li>हाई मास्ट सोलर LED लगाना</li> <li>मौजूदा स्ट्रीटलाइट्स का रखरखाव और मरम्मत</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीटलाइटों को सोलर LED स्ट्रीटलाइटों में परिवर्तित करना</li> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर LED में परिवर्तित करना</li> </ol>
<b>लक्ष्य</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थानों पर 30 सोलर LED स्ट्रीट लाइट स्थापित करना<sup>65</sup></li> <li>4 हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना</li> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीटलाइट लगाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीटलाइटों को सोलर LED स्ट्रीटलाइटों में बदला गया</li> <li>आवश्यकतानुसार और ज्यादा हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीटलाइटों की स्थापना</li> </ol>
<b>अनुमानित लागत</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>30 सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना: ₹3,00,000</li> <li>4 हाई मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट्स: ₹2,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹5,00,000</p>	<p>30 सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना: ₹3,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹3,00,000</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>

65 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>66</sup> निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई (MNRE) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹ 15,000/ किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹ 30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - » स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>67</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से MNRE द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)
  - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
  - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना<sup>68</sup> के तहत किये किए जा सकते हैं। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सीएफए प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
  - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
  - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹ 50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन।
- ग्राम पंचायतों<sup>69</sup> में LED स्ट्रीट लाइटिंग की योजनाएं:
  - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्ष तक LED बल्बों को मुफ्त बदलता है और रखरखाव करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और MNRE सोलर स्ट्रीटलाइट प्रोग्राम 12 वाट LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।

66 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar\\_Pradesh\\_Solar\\_Energy\\_Policy\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf)

67 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

68 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

69 ईईएसएल (EESL) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

- ग्राम उजाला योजना<sup>70</sup> :
  - » ₹ 10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इन्कन्डेसन्ट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज सेट-अप के लिए सब्सिडी:
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी के लिए विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
    - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
  - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>71</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडकेशन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
  - » SBM-G के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला ₹ 50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है<sup>72</sup>।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>73</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त कंप्रेसड बायोगैस (CBG) संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹ 75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹ 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट।
- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अम्ब्रेला के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया है:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
  - » छोटे बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता) के लिए वित्तीय सहायता संयंत्र के साइज़ के आधार पर रुपये 9800/- रुपये 70,400/- प्रति संयंत्र है।
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m<sup>3</sup>/दिन है<sup>74</sup>।

70 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ LED बल्ब वितरित करती है (फरवरी 2023), PIB)।

71 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

72 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

73 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

74 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

## वित्त क अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को "संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीसीएल)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग





## 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

कृषि और पशुपालन ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और 70% से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्र, विशेष रूप से बार-बार पड़ने वाले सूखे, बदलती जलवायु और पशुपालन में वर्तमान अस्थिर उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरे हुए हैं। इसलिए, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित व स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 35 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, बताई गई गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत में नौकरियों के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में बताए गए सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है



### सतत उत्पादों के विनिर्माण में पूर्व से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घर के सजावटी सामान, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना।)
2. निम्न के लिए क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

#### प्रारंभिक स्तर पर शामिल:

- » 100 महिलाएं
- » 12 स्वयं सहायता समूह
- » स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

#### इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक स्तर पर शामिल होना:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएं
- » अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



## जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच भागीदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
  - » कंपोस्टिंग और वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
  - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 100 किलोग्राम; प्रति माह 30,000 किलोग्राम (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
  - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश EV नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम फेज- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-गुड्स कैरियर्स के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

### तत्काल लक्ष्य:

- » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
- » 2 या 3 ईवी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (मिनी गुड्स ईवी ट्रांसपोर्ट ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹ 9.2 लाख)

### मध्य- अवधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना गया है कि सकरौरा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता है जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख रुपये है)



## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के अंदर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना  
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

लागत: ₹8 से ₹15 लाख



## जलीय कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार (ग्राम पंचायत में पर्याप्त सतही जल संसाधन हैं)

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना<sup>75</sup> (एकाकल्चर को मछली और अन्य जलीय पौधों के प्रजनन, बढ़ने और कटाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है)
2. सतत जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों/स्वयं सहायता समूह/FPO का क्षमता निर्माण

लक्ष्य

### तत्काल लक्ष्य:

सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

मत्स्य सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों आदि के माध्यम से विपणन संपर्क स्थापित करना।

<sup>75</sup> उत्पादकता वृद्धि, प्राकृतिक आहार का उपयोग और इनपुट लागत में वृद्धि किए बिना मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्लवक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावी सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैसी प्रथाएं



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



## नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत में सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल योजनाओं से सहायता।

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

### 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

#### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 76,77,78:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

### 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकास और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

76 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

77 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

78 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>79</sup> का थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>80</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

## 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>81</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

79 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

80 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

81 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>82,83</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>84</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>85</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>86</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

82 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

83 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

84 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

85 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

86 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>87</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में <sup>88</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

87 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

88 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>



## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>89</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>90</sup>

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

89 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

90 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>91</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>92</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

91 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

92 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>




## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>93</sup>
क. जल निकायों का रखरखाव 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ा।</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul>
ख. जल निकासी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 		<b>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
ग. वर्षा जल के संचयन (RWH) के अभ्यास 		<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
घ. भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण 		<b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul>
		<b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>



93 अनुलग्नक V में SDG और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

## सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया	
<p>क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि</li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul> <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>	
<p>ख. प्राकृतिक खेती को अपनाना</p> 			
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 			



## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम हुआ</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul>
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>



## सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul>
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ग. ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर</p> 		   

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ग. नर्सरी की स्थापना</p> 		<p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul>



## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटोप की संस्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण से राहत</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul>
<p>ख. कृषि -फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
<p>ग. सौर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रीड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		





## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ङ. जलीय कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार (ग्राम पंचायत में पर्याप्त सतही जल संसाधन हैं)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	   
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>छ. नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		

**का**र्यान्वयन में प्रस्तावित संस्तुतियों से सकरौरा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। सकरौरा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर सकरौरा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, सकरौरा जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही सकरौरा को एक मॉडल जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>94</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

सकरौरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>95</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

94 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और DoEFCC (उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

95 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्य प्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (HRVCA) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

## कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » सकरौरा ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत: सकरौरा ग्रामीण

विकास खण्ड : कर्नेलगंज

जनपद: गोण्डा

### I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत— समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	17
3	a कुल जनसंख्या	4350
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	2300
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2050
	d विकलांगजन की जनसंख्या	14
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	950
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	525
4	कुल परिवार की संख्या	675
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	290
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	600 हेक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	40 %
7 a	पक्का घरों की संख्या	380
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	295 (छप्पर/टिन व लकड़ी के खम्भे)

1 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





## II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	650	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	50 (नदी विस्थापित परिवार बाराबंकी क्षेत्र से आकर बस रहे हैं)	
	अनुबंध खेती	25	
	दिहाड़ी मजदूर	200	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	50	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	125	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	40	
	कुटीर उद्योग	0	
	कृषि	660	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	425	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	120 (शहरी क्षेत्र तलसील मुख्यालय के करीब)	
	व्यवसाय/उद्यम	25	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	150	
	अन्य –		
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	0	
	निकट के शहर	5	
	राज्य के प्रमुख शहर	20	
	देश के प्रमुख महानगर	10	
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	10 परिवार जमीन लेकर बस गये सस्ती भूमि पाकर शान्तिपूर्वक जीवन जीने के लिए फॉर्म हाउस बना कर रह रहे है।
---	--	---

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	20
b	खेती में कार्यरत महिला	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	15
	किराए की भूमि/हुण्डा	0
	अनुबंध खेती	5
	दिहाड़ी मजदूर	10
	अन्य व्यवस्था	0
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	15
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	3
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	20
	कला/हस्तकला	0
	पशुपालन	15
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	2
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	10
	अन्य	0

### 3 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





12	स्वयं सहायता समूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	जय हनुमान	13	NIL	6240	जुड़ाव
2	सीता माता	11	NIL	5280	जुड़ाव
3	वैष्णों	11	NIL	5280	जुड़ाव
4	मां भगवती	12	NIL	5760	जुड़ाव
5	आदर्श महिला	10	NIL	4800	जुड़ाव
6	एकता	12	NIL	5760	जुड़ाव
7	बुद्धा	12	NIL	5760	जुड़ाव
8	माँ भगवती	12	NIL	5760	जुड़ाव
9	जय माँ	12	NIL	5760	जुड़ाव
10	विकास	10	NIL	4800	जुड़ाव
11	भारतीय महिला	10	NIL	4800	जुड़ाव
12	आदर्श महिला	10	NIL	4800	जुड़ाव

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०)					
	एफ०पी०ओ० का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ०पी०ओ० में सदस्यों की संख्या	एफ०पी०ओ० से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
	NIL	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

#### 4 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda







14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन /					
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	NIL	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भुगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	733	135	970000	0	नाली खडण्जा व सड़क पटाई
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	543	543			
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	585	550	चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	NIL				
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	NIL				
b	अन्य योजनाएं	NIL				
	ग्राम उज्ज्वला योजना					
	ऊर्जा दक्षता योजना	NIL				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	NIL				

5 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda



	प्रधानमंत्री आवास योजना	58	-		
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीओएसओ)	453	453	NILL	
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	NIL			
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	NIL			
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	NIL			
	मौसम आधारित फसल बीमा	NIL			
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	300			
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	NIL			
	किसान क्रेडिट कार्ड	425	300		आवश्यकतानुसार ऋण कृषि कार्य हेतु
	स्वच्छ भारत मिशन	650	650		शौचालय निर्माण
	सौर सिंचाई पम्प योजना	NIL			
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	NIL			
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	NIL			
	गोवर्धन योजना	NIL			
	जल पुनर्भरण योजना	NIL			
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	NIL			
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	NIL			
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	100			
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	NIL			
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	NIL			

#### 6 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1200
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	150

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/कय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	सरकारी कृषि क्रय केंद्र कर्नेलगांज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		गेहूँ 6000	3500	मध्य में 2 किमी0
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		धान 5500.	2500	मध्य में 2 किमी0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		सब्जी	2000	मध्य में 2 किमी0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)						
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय सुदिया (गोडियन पुरवा)	225	116	0	-	
b	जू0 हाई स्कूल					
	कम्पोजिट विद्यालय महतोपुरवा(प्राथमिक /जुनियर)	350	379	0	-	
c	हाई स्कूल	NIL				

7 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





	d	अन्य संस्थान	NIL			

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	NIL				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	जरवल गोण्डा NH 30 B	2	ग्राम पंचायत के बीच से गुजरती हैं।	(1)

### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
----	------------------	--

8 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





A	वन का क्षेत्र	NIL
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	NIL
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	NIL
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	NIL
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	NIL
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	NIL

23 अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	NIL	
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	NIL	
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं ✓ <input type="checkbox"/>
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3		
	अतिरिक्त सूचनाएं	शहरी क्षेत्र के करीब होने के कारण जमीन महंगा होती जा रही है।	

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	12	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	NIL	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	NIL	

25 जल आपूर्ति	
---------------	--

## 9 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





a	<b>ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?</b> नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/झील-(4) अन्य- (5)	(3) हैंड पम्प व इण्डियां मार्का 2
b	<b>क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?</b>	बारहमासी
c	<b>घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?</b> पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैंडपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	(5)
d	<b>कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?</b>	0
e	<b>क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है</b>	लागू नहीं
f	<b>पइप जलापूर्ति की नियमितता</b> 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	लागू नहीं
g	<b>ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?</b> नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल - (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5)	(2) (3A), (4) निजी बोरिंग (7)

10 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





		नदी (6) अन्य (7)	
	<b>h</b>	<b>क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?</b>	बारहमासी- वर्षा जल
	<b>i</b>	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	वर्षा जल सामान्य
	<b>j</b>	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख ग क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	पर्याप्त  सामान्य है।  लागू नहीं

11 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
<b>26</b>				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	35		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी की तीव्रता- तापमान बढ़ जाता है।		
<b>27</b>				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया	थोड़े समय में अधिक ठंडा		
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		30	
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	देर से शुरू होना जल्दी समाप्त होना (दिसम्बर-फरवरी)		
<b>28</b>				
a	मानसून माह में महसूस किया गया	अनियमित वर्षा		
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		30	
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	अगस्त माह प्रायः वर्षा नहीं होती।		
<b>29</b>				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		5	
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





e	दिनों की संख्या		5
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	कृषि पर दुष्प्रभाव बढ़ा है।	

13 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





### चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	अगस्त			अगस्त	अगस्त
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)		आवश्यकता नहीं	NIL	कृषि प्रबन्धन बोरिंग द्वारा	अतिरिक्त सिंचाई
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना क्षेत्र में शून्य जलजमाव प्रदूषित जल द्वारा	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	अक्टूबर	सितम्बर	जुलाई	जुलाई	जून
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन निजी सहायता			कृषि स्तर पर प्रबन्धन फसल चक्र परिवर्तन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2	2	2	2	2
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन NIL			कृषि स्तर पर प्रबन्धन NIL	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIL	



e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
<b>33 ओलावृष्टि</b>						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई		फरवरी			
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं			कृषि स्तर पर प्रबन्धन किसी तरह फसल एकत्र किया	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>34 फसलों के कीट/बीमारी</b>						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	जून, फरवरी, अगस्त/सितम्बर	जून, फरवरी, अगस्त/सितम्बर	जून, फरवरी, अगस्त/सितम्बर	जून, फरवरी, अगस्त/सितम्बर	जून, फरवरी, अगस्त/सितम्बर
c	किस प्रकार के टिड्डी/कीट/बीमारी को देखा गया?	गन्ना में सूखा रोग नई वैरायटी में जून में अधिक लगता है गेहूँ में भुनगा लगने से फरवरी में बाली काली होती है। अगस्त/सितम्बर धान में झुलसा रोग का प्रचलन	गन्ना में सूखा रोग नई वैरायटी में जून में अधिक लगता है गेहूँ में भुनगा लगने से फरवरी में बाली काली होती है। अगस्त/सितम्बर धान में झुलसा रोग का प्रचलन	गन्ना में सूखा रोग नई वैरायटी में जून में अधिक लगता है गेहूँ में भुनगा लगने से फरवरी में बाली काली होती है। अगस्त/सितम्बर धान में झुलसा रोग का प्रचलन	गन्ना में सूखा रोग नई वैरायटी में जून में अधिक लगता है गेहूँ में भुनगा लगने से फरवरी में बाली काली होती है। अगस्त/सितम्बर धान में झुलसा रोग का प्रचलन	गन्ना में सूखा रोग नई वैरायटी में जून में अधिक लगता है गेहूँ में भुनगा लगने से फरवरी में बाली काली होती है। अगस्त/सितम्बर धान में झुलसा रोग का प्रचलन
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान अपने निजी सहायता समझ से दवा का छिड़काव करते हैं।				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					



35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण	
	a ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	NIL
	तेल	NIL
	चीनी	NIL
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	NIL
	B क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	NIL

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	NIL
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>
	मोबाईल फोन/एप	<input checked="" type="checkbox"/>
	मौखिक	<input checked="" type="checkbox"/>
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	NIL
	पशुपालन विभाग	NIL
	उद्यान विभाग	NIL
	अन्य	अन्य टेलीविजन द्वारा

16 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda



कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
<b>38</b>	<b>फसल हानि</b>					
<b>A</b>	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1) (2)	धान गेंहूँ गन्ना	वर्षा गर्मी सूखा रोग	1500 3000 2000	2700000 5400000 600000
	द्वितीय वर्ष (2021)	(1) (2)	धान गन्ना	वर्षा सूखा रोग	1000 1500	1800000 450000
	तृतीय वर्ष (2020)	(2)	धान गन्ना	वर्षा सूखा रोग	800	240000
	चतुर्थ वर्ष (2019)	(2)	धान गन्ना	वर्षा सूखा रोग	500	150000
	पंचवां वर्ष (2018)	(2)	धान गन्ना	वर्षा सूखा रोग	500	150000
<b>B</b>	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी—बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि)  फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	KCC धारक सभी किसानों के फसल का बीमा स्वतः हो जाता है।  शून्य				



39 फसल पद्धति में बदलाव					
A	सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी गेहूँ गन्ना सरसों	जायद/अन्य ऋतु सब्जी	
B	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	20जून से	हाँ	जून 25 से जुलाई मध्य तक	बदलता मौसम व पानी की कमी
	गेहूँ	अक्टूबर 25 से	हाँ	नवम्बर 15	बदलता मौसम व वर्षा
	सरसों	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	हाँ	अक्टूबर 15 के बाद	जलवायु व तकनीक में परिवर्तन
	गन्ना	फरवरी	हाँ	नवम्बर	जलवायु व तकनीक में परिवर्तन
C	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	अरहर, चना, मटर व मोटे अनाज की खेती समाप्त			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
A	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	धान	वर्षा आधारित (4), ट्यूबेल वोरिंग द्वारा (6)	1700 एक बार	वर्षा आधारित (4), बोरिंग निजी (6)	1250 प्रति एकड़ एक बार
	गेहूँ	(4), (6) पूरे खेत में भरकर	2000 एक बार	(4) (6)	1500 प्रति एकड़ एक बार

18 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda



				(4) (6)		
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		150	10	0	0	0
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	बरसात के समय सिंचाई खर्च में कमी				
<b>41 पशु पालन/पशुधन</b>						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		(1) (3) (6) बकरी			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(3) बकरी	बकरी-40	रोग	सितम्बर	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	(3) बकरी	बकरी-60	रोग	सितम्बर	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(3) बकरी	बकरी-75	रोग	सितम्बर	(2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	(3) बकरी	बकरी-100	शीतलहर रोग	दिसम्बर	(2)
	पंचम वर्ष(2018))	(3) बकरी	बकरी-125	रोग	सितम्बर	(2)
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	बाढ़ के दिनों में पशु चारे की समस्या हो जाती है।				

19 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda







c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NIL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NIL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NIL				
	पंचम वर्ष(2018))	NIL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NIL				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NIL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NIL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NIL				
	पंचम वर्ष(2018)	NIL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NIL				

20 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda







## V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी												
42 a	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी					
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0) प्रति एकड़	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	बरसात	30	डाई, यूरिया	40 50	(1)	मैलाथियान + यूरिया	5kg 2.5 kg	(1) (1)	24 D	200ml/एकड़	(1)
	गेहूँ	जाड़ा	22	डाई, यूरिया	50 50	(1)	NIL	NIL	NIL	24 D	200ml/एकड़	(1)
	गन्ना	शरद	350	डाई, यूरिया	75 50	(1)	कोराजिन	100ml/एकड़	(1)	24 D	200ml/एकड़	(1)
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?					
				20 एकड़	नहीं	पिछले 5 वर्षों से गन्ना काटने के बाद जला देते है	हां लोग जानते है फिर भी जलाते हैं।					



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु०/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित	
NIL					

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्विंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)	
NIL				
NIL				
NIL				
NIL				
NIL				





46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन वार्षिक (रूपये में)	
गाय (देशी नस्ल)	50	खुले में चराई	6000	
गाय (संकर नस्ल)	0	NIL	NIL	
भैंस (देशी नस्ल)	450	पशु आहार एवं खुले में चराई	45000	
भैंस (संकर नस्ल)	350	पशु आहार एवं खुले में चराई	60000	
बकरी	400	पशु आहार एवं खुले में चराई	15000	
सुअर	0	—	—	
मुर्गी	0	—	—	
मत्स्य	12 तलाब	पालना	20,00,000	
अन्य	—	—	—	

#### VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	सामान्य
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
	आवश्यकता नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	1-2 किलो			सब्जी का छिल्का, सफाई का अपशिष्ट		
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?				घूर पर डाला जाता है		
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन		
		हां	नहीं		लागू नहीं		
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	घर के पास घूर पर	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	लागू नहीं	

#### 5 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	100 लीटर प्रति घर				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	-
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200 वर्ग मीटर
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 वर्ग मीटर
e	आशा	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	500	225	125	150	स्वयं	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच
b	जल-जनित रोग (हैजा/ डायरिया/ टाईफाइड/ हैपेटाइटिस आदि)	450	300	75	125	स्वयं	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	600	25	125	450	स्वयं	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच
d	कुपोषण	3	3			आंगनवाड़ी	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच

6 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





## VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	625
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	5
	एयर कुलर	40
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	30

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	16 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	लागू नहीं

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	5
	सौर उर्जा	2
	इमरजेंसी लाईट	500
	इन्वर्टर	30
	अन्य साधन (उल्लेख करें) सर्च लाइट पशुओं को भागने के लिए	NIL

### 7 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	0
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	0
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	0
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	0
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	NIL	0
	सौर स्ट्रीट लाईट	NIL	0
	बायोगैस	NIL	0
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	NIL	0
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	हाँ	सोलर पम्प और घरेलू सौर युनिट

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	500	70 किग्रा0
	बायोगैस	0	—
	एलपीजी गैस	400	10 किलो
	विद्युत	0	—
	सौर उर्जा	0	—
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0	—
59	वाहन की संख्या		

## 8 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda







	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	5	डीजल	40
b	कार	15	डीजल व पेट्रोल	50
c	दो पहिया वाहन	300	पेट्रोल	35
d	विद्युत चालित वाहन	5	बैटरी	60
e	आटो	20	डीजल	65
f	ई-रिक्शा	20	बैटरी	55
g	अन्य ट्रैक्टर	40	डीजल	20

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	150	डीजल	40
b	कम्बाइन हारवेस्टर	8	डीजल	मौसम में केवल कटाई
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें) पम्प सेट	200	डीजल/बिजली	70 -8 घंटे 30 घंटे

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)											
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर/ट्रक	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य पम्प सेट
a	डीजल	12000	18	200	40	20	150	0	50	0	200
b	पेट्रोल	3000	18	0	0	0	0	1000	0	0	0

9 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda





62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	NIL			
	NIL			
	NIL			
	NIL			

10 - Survey Climate Smart Village Sakraura Gramin, Gonda



# अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण

विकास खण्ड—कर्नेलगंज, जनपद—गोण्डा



## खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

### जलवायु परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण में जाड़ा, गर्मी व बरसात का प्रभाव रहता है लेकिन सरयू नदी गांव के दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेखा पर होने के कारण और साथ ही समानान्तर 12 किमी की दूरी पर घाघरा नदी बहने से नमी बराबर बनी रहती है। हर वर्ष 3-4 छोटी बाढ़ आ जाती है और कम से कम एक बड़ी बाढ़ भी आ जाती है जिसके कारण गांव के दो तिहाई हिस्से में मौसम में नमी रहती है। पिछले 20 वर्षों में जाड़े के दिनों में लगभग पूरे एक महीने की कमी हुई है और इसी प्रकार वर्षा के दिनों में भी एक महीने की कमी हुई है जबकि गर्मी के दिनों में 35 से 40 दिन की वृद्धि हुई है। अब अगस्त का महीना लगभग पूरा सूखा रहता है। वर्ष 2022 में धान की फसल लगभग पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर रही जो अब तक रिकार्ड है साथ ही अक्टूबर महीने के पहले दूसरे हफ्ते में 4-5 दिनों में हुई भारी बारिश ने तैयार फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने में भी काफी अनियमितता रही और गर्मी के दिनों में 5-7 बार होने वाली बारिश भी लगभग समाप्त हो चुकी है। जाड़े के दिनों 2021 में रिकार्ड बारिश हुई तो अब 2022-23 में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। अब धान व गेहूँ की फसलें पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर होती जा रही हैं। वर्ष 2022 का धान का फसल पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर था और यह साल एक बड़े सूखे के रूप में दिखाई दिया।

सकरौरा ग्रामीण एक बड़ी ग्राम पंचायत है जिसके एक तिहाई हिस्से करनैलगंज शहरी क्षेत्र में विलीन होने के बाद बचे 17 पुरवों के इस गांव का पी.आर.ए. के विभिन्न विधियों के माध्यम से प्राथमिक सूचनायें प्राप्त की गयी और लोगों से 4-5 दिनों तक छोटी बैठकों के बाद एक बड़ी बैठक पंचायत भवन सकरौरा ग्रामीण में आयोजित किया गया। जलवायुगत आपदा खतरा प्रोफाइल में सूचनाओं का संकलन व विश्लेषण इन्हीं बैठकों में किया गया। इस प्रोफाइल की सूचनायें इस प्रकार हैं :-

### 1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं उनका प्राथमिकीकरण :-

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के सभी 17 पुरवों पर जाकर गांव के लोगों के साथ उन सभी आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ-सफाई आदि प्रभावित होते हैं। सभी आपदाओं के प्रभाव को उनके द्वारा उत्पन्न की गयी समस्याओं की रैंकिंग व प्राथमिकीकरण किया गया। सकरौरा ग्रामीण की सबसे बड़ी आपदा बाढ़ एवं जल जमाव है। इससे खेती, आजीविका, रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल तथा पशुपालन पर जोखिम बढ़ जाता है।

## आपदा का इतिहास एवं क्षति :-

सरयू एवं घाघरा की बाढ़ 17 में से 11 पुरवों को प्रभावित करती है जिसमें से 8 पुरवे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। 1982 में आयी अचानक बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचायी थी। घाघरा और सरयू नदी एक हो गयी थी और पूरा ग्राम पंचायत भीषण बाढ़ के चपेट में था।

फसलों के अलावा पशुओं और मानव की क्षति हुई थी। सन् 2002 में एक बार फिर भारी बाढ़ आयी थी और पुनः तबाही हुई जिसमें 7-8 लोगों की मौत हो गयी थी। सन् 2020 व 21 में कोरोना की दोनों लहरों में 8-10 लोगों की मौत हुई और लोगों की आजीविका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। 2022 के फरवरी-मार्च महीने के उच्च तापमान ने रबी की फसल को तबाह कर दिया और लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ। इसी प्रकार 2022 में ही धान रोपाई से लेकर फसल पकने से पहले तक लगातार सूखा पड़ा और फसल तैयार होते ही भारी बारिश और बाढ़ ने एक बार पुनः 80 प्रतिशत तक उत्पादन को कम कर दिया।

विस्तृत विवरण संलग्नक-4 देखें

## आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं सकरौरा ग्रामीण ग्राम पंचायत को प्रभावित करते हैं :-

आपदा का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़												
जल जमाव												
सूखा												
लू												
शीत लहर												
ओला												
आँधी तूफान												

## 2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन:-

3 - Sakraura Gramin, Gonda

सकरौरा ग्रामीण के सभी पुरवों का भ्रमण किया गया और वहां के पुरुष, महिला व समुदाय के सभी वर्ग से चर्चा कर उनसे छोटे-छोटे समूहों में राय ली गयी कि बदलते जलवायु परिदृश्य से किस तरह लोगों का आम जीवन प्रभावित होता है। लोगों ने फसलों, पशुधन, प्राकृतिक संसाधनों के साथ आम लोगों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की और बताया कि अब खेती में सिंचाई का खर्च बहुत बढ़ गया है। फसलें जब तैयार होती हैं तब अत्याधिक बारिश या तेज गर्मी उसके उत्पादन को कम कर देती है। इसके अतिरिक्त ठंडक के दिनों में अचानक शीतलहर पशुओं और मनुष्यों को प्रभावित करती हैं और प्रायः वृद्धजन व बकरियों की मौत बढ़ जाती है। अगस्त का महीना प्रायः सूखा रहता है और प्रत्येक वर्ष एक या दो बार बाढ़ अवश्य आती है क्योंकि घाघरा नदी मात्र 12 किमी दूर सरयू नदी के करीब है जिसका पानी बाढ़ का कारण बनता है।

### खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	आसन्न आपदा / खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	बाढ़	पेयजल	बाढ़ प्रभावित पुरवों के सभी पेयजल स्रोत का प्रदूषित होना व जल जनित बीमारियों में वृद्धि	2200	400	सभी निजी हैण्डपम्प का जल प्रदूषित व बाढ़ के एक माह बाद तक स्थिति यथावत्
		स्वच्छता	शौच खुले में होने से गन्दगी व बीमारी में वृद्धि और सड़े गले अपशिष्ट की बहुतायत	2200	400	सुरक्षित एवं सूखे स्थलों का विलुप्त होना
		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारियों की भरमार जिसमें उल्टी-दस्त, टाइफाइड और मलेरिया प्रमुख	2200	400	प्रतिवर्ष कम से कम 150 लोग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से बच्चों का स्कूल पहुंचना बाधित	पूरा गाँव	500 घर	सड़क, कच्चे रास्ते विद्यालय परिसर
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, विकलांग एवं गर्भवती महिलायें व बच्चों का आवागमन बाधित	दक्षिणी क्षेत्र के 11 पुरवे	250 वृद्ध, 8 विकलांग, 12 गर्भवती महिलाएं, 150 बच्चे	सड़कों पर अधिक पानी व कीचड़ युक्त होने से फिसलन का होना
		कृषि	खरीफ की फसल, नर्सरी से लेकर फसल तैयार होने	1900	350 खेती वाले घर	300 हेक्टेअर धान व गन्ने की फसल

			तक हर समय क्षति व क्षति का भय			
		सब्जी उत्पादन	खरीफ फसल की सब्जियाँ नष्ट	750	100	15 हेक्टेअर सब्जी
		पशुपालन	बड़े पशुओं में खुरपका, मुंहपका व बकरियों की बीमारी व मृत्यु का भय	1200	200	700 बड़े जानवर (भैंस) व 500 बकरियों के लिए
		आजीविका	स्थानीय व बाहरी क्षेत्र में मजदूरी का न मिलना, मनरेगा का काम ठप	1000	185	कृषि मजदूरी व दिहाड़ी मजदूरी
		जल निकास	बाढ़ का गन्दा पानी भरना व सड़ाघ	पूरा गांव	—	सभी 12 तालाब व सड़क किनारे के गहरे क्षेत्र
		खुले क्षेत्र	सड़क किनारे बड़े खरपतवार से साँप व कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ना	पूरा गांव	—	सभी सड़कों का किनारा व खाली क्षेत्र
2	सूखा	कृषि	उत्पादन का कम होना	पूरी ग्राम पंचायत	675	400 हेक्टेअर खेती
		पशुपालन	जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ना, हरे चारे का संकट, भूसा महंगा होना व भविष्य में चारे पर खतरा	भैंस, बकरी व गाय	250 घर	चारागाह एवं कृषि क्षेत्र
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	सिंचाई का खर्च बढ़ना एवं उत्पादन में कमी	सब्जी उत्पादन	60	15 हेक्टेअर
3	लू	स्वास्थ्य	मानव व पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना, कार्यक्षमता में गर्मी व दुग्ध उत्पादन कमी	पूरा गांव	675 घर	
		शिक्षा	बच्चों का स्कूल में उपस्थिति कम, बच्चों का बीमार होना	पूरा गांव	500 बच्चे	शिक्षा व्यवस्था में बाधा

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव :-

5 - Sakraura Gramin, Gonda

इस क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन एवं नगदी फसल है। स्थानीय कृषि मजदूर व नगरीय क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी भी आजीविका के सहायक साधन हैं। कृषि के कामों से खाली होते ही लोग बड़े शहरों को पलायन कर जाते हैं लेकिन नगदी फसलों विशेषकर सब्जियों के उत्पादन के लिए काफी संख्या में लोग संलग्न हैं। आजीविका के उपरोक्त सभी साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित तथ्य संकलित की गयी हैं।

विस्तृत विवरण संलग्नक-05

### 3. नाजुकता विश्लेषण :-

आपदाओं का बार-बार सामना करने से समुदाय की नाजुकता बढ़ती है। प्रभावित समुदाय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को आपदाओं से सामना करने में सक्षम बनाने के लिए उसके नाजुक समुदाय, संसाधन व स्थल आदि का चिह्नांकन आवश्यक था। इस तथ्य को जानने के लिए स्थानीय हितभागियों से नाजुक वर्ग जाति, उम्र, आय स्रोतों के आधार पर लोगों की पहचान, संसाधनों की पहचान व संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की गयी जो निम्न है :-

#### 1. बाढ़

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के लिए बाढ़ एक प्रमुख समस्या है। पश्चिम दक्षिणी सिरे का 5 किमी से अधिक क्षेत्र सरयू नदी के उपशाखाओं व सरयू नदी से घिरा है। पूरे क्षेत्र का जल एवं बरसात का पानी इस संग्रहण क्षेत्र में वर्षा के दिनों में अधिक पानी इकट्ठा होता है। घाघरा नदी से सरयू नदी की जलधारा मिल जाती है और बाढ़ भयावह रूप धारण करती है। पुरानी सरयू की उपशाखायें जो लगभग 50 हेक्टेअर में हैं पूरे गांव को बाढ़ के चपेट में लाने के लिए सहायक बनती है। निम्न स्थितियां ग्राम पंचायत के लिए विकास की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हैं :-

- बाढ़ के दिनों में सुदिया गोडियनपुरवा, नाई पुरवा, भगोलेपुरवा आदि का सम्पर्क मार्ग कच्चा व नीचा होने से आवागमन बाधित होता है।
- भयापुरवा, दुखीपुरवा, गोपीपुरवा का सम्पर्क प्रभावित होता है और गांव में पानी का स्तर 4-5 फुट तक हो जाता है।
- सम्पर्क मार्ग के किनारे बड़े गहरे तालाब है जो बाढ़ के समय आवागमन को चुनौतीपूर्ण और खतरनाक बनाते हैं।

### समुदाय पर बाढ़ का प्रभाव :-

6 - Sakraura Gramin, Gonda



- बाढ़ के दौरान 400 परिवारों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है।
- कच्चे घरों (225) की दीवारें दरक जाती हैं और छप्पर के घरों में रखा सामान खराब हो जाता है।
- सभी 400 परिवारों में से 375 परिवारों में बने शौचालय डूब जाते हैं और शौच एक बड़ी समस्या बन जाती है।
- लगभग सभी घरों में भोजन बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है।
- बाढ़ आने से चारों तरफ सड़ांध व दुर्गन्ध बनता है विशेषकर अनाज के सड़ने व जल ठहराव वाले स्थानों पर मच्छरों का जमावड़ा हो जाता है जो उल्टी दस्त व मलेरिया की बीमारी को बढ़ावा देता है।
- सभी पेयजल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता शून्य हो जाती है।
- जानवरों को लिए शरण स्थल केवल पक्के सड़क रहते हैं और उन्हें धूप में बांधना पड़ता है जिससे वे अधिक बीमार पड़ते हैं।
- जानवरों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मुश्किल होता है।
- घरों में रखा सामान व अनाज बाढ़ के पानी में डूबने से नष्ट हो जाता है और काफी आर्थिक क्षति होती है।
- 400 परिवारों की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है और परिवार कर्ज के चक्र में फंसता है जिससे गरीबी सतत बढ़ रही है।
- खेत भी मिट्टी बलुई है जिससे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है।
- खेतों की मेड़बन्दी कमजोर है जिससे बरसाती पानी सरक कर गड्ढों/तालाबों में चला जाता है।
- गांव में 12 तालाब है जिनका प्रबन्धन बहुत आवश्यक है। यह सभी तालाब बड़ी मात्रा जल प्रबन्धन व सूखा नियन्त्रण में सहायक हो सकते हैं।
- तालाबों का अस्तित्व बचाने के लिए कूड़ा प्रबन्धन (प्लास्टिक) व कचरा नियन्त्रण करने की आवश्यकता है और प्रदूषित जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ग्राम पंचायत में सड़कों, मार्गों व अन्य व्यक्तिगत भूमि पर वृक्षारोपण व उनके संरक्षण की आवश्यकता है।
- खेतों में केवल रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। पशुधन अधिक होने के बावजूद कम्पोस्ट खाद का प्रयोग नहीं होता है।

- खेतों में फसल विशेषकर गन्ने के खेत को फसल कटने के बाद जला दिया जाता है। लगभग 50 हेक्टेअर में यह प्रयोग व्यवहार में है।

## 2. सूखा :-

समुदाय के साथ कई चर्चाओं में यह तथ्य सामने आया कि सूखा इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी समस्या है। मौसम चक्र परिवर्तन व तापक्रम तथा वर्षा का ऐसा संयोग होता जा रहा है कि अगस्त महीने में बिल्कुल बारिश नहीं होती है और जून जुलाई में होने वाली सामान्य वर्षा भी काफी कम हो चुकी है। 25 वर्ष पहले सब कुछ तयशुदा समय पर होती थी लेकिन गर्मी का दायरा बढ़ता जा रहा है और खरीफ की फसल भी सिंचाई आधारित होती जा रही है जिससे फसल तैयार करने का आर्थिक बोझ बढ़ा है। सूखे की स्थिति में निम्न गतिविधियाँ सूखे की स्थिति बहुत बढ़ रही है।

### सूखा का समुदाय पर प्रभाव :-

- सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है और लागत बढ़ती है।
- जानवरों के हरे चारे विशेषकर चरी विषैला हो जाता है और जानवरों में पेट सम्बन्धी बीमारी बढ़ जाती है।
- बकरियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- दवाओं का खर्च बढ़ जाता है।
- रबी में बारिश नहीं होने से सिंचाई खर्च बढ़ जाता है।

## 3. लू :-

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण की भौगोलिक स्थिति और जमीन बलुई होने के कारण लू की स्थिति बनती है और 15 अप्रैल से 15 जून तक लू की स्थिति बनती है और बहुत गर्म हवायें आम जनजीवन को बहुत प्रभावती करती हैं जो निम्न है :-

- लू अधिक चलने से पशुओं के पेयजल के लिए अधिक मेहनत/सावधानी रखनी पड़ती है।

- बच्चों को तेज बुखार एवं उल्टी दस्त की शिकायत बहुत जल्द प्रारम्भ हो जाती है और परिवार के लिए मुसीबत बढ़ जाती है।
- सब्जी के फसलों में उत्पादन घट जाता है जबकि गन्ने की गुड़ाई इसी दौरान करनी होती है और सिंचाई अधिक करनी पड़ती है।

#### 4. शीतलहर :-

एक लम्बे समय तक गर्मी पड़ने के बाद जब ठंडक का मौसम शुरू होता है तो दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से लेकर 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। अचानक ठंडक बढ़ने व शीतलहर होने के कारण मानव व पशुओं के स्वास्थ्य के लिए यह एक समस्या बन जाती है और आमजन जीवन कष्टकारी हो जाता है। शीतलहर के दौरान पशुओं पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषकर बकरियों पर इनकी मौत संख्या बढ़ जाती है और अधिक बीमार पड़ती है।

वृद्धजनों के लिए मुसीबत बढ़ जाती है और इनके बीमार होने और मृत्यु की संख्या बढ़ जाती है। छोटे बच्चों के लिए ठंडक बहुत जल्द हो जाती है।

फसलों के लिए शीतलहर विशेषकर आलू, सरसों की फसल बहुत प्रभावित होती है। लकड़ियों के जलाने की मात्रा बढ़ जाती है।

#### 5. जल जमाव :-

बाढ़ उतर जाने के बाद निचले इलाकों व सम्पर्क मार्गों पर जल जमाव की स्थिति बनती है जो कई दिनों तक बनी रहती है। निचले खेतों का पानी बहुत देर से सूखता है और रबी की बुआई देर से हो पाती है। जल जमाव होने से मलेरिया व डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इन सभी के इलाज में पैसा अधिक खर्च होता है और स्वास्थ्य सुरक्षा के कड़े इन्तजाम करने पड़ते हैं।

उपरोक्त सभी समस्याओं/घटनाओं के साथ समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमियां निम्न हैं :-

- ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण में आपदा प्रबन्धन तैयारी सम्बन्धी कोई समिति गठित नहीं है और न ही कोई ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना ही बनी है।
- गांव में 13 स्वयं सहायता समूह हैं और उनका बैंक से जुड़ाव भी है परन्तु उनका कोई सक्रिय भागीदारी सामाजिक गतिविधियों में नहीं है।

- लोगों को आपदाओं की जानकारी रेडियो, समाचार पत्रों व मोबाइल एवं मौखिक रूप से होती है। बड़ी बाढ़ की सूचना तहसील प्रशासन द्वारा दिया जाता है।
- फसल बीमा का लाभ लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है केवल किस्त जमा करते हैं।
- सोलर के उपकरण कहीं-कहीं लगे हैं।
- लोग पम्पसेट से सिंचाई बड़े पैमाने पर करते हैं और काफी धन डीजल खरीद पर खर्च करते हैं।
- बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू आदि से बचाव के लिए धुंआ करते हैं लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग बहुत कम करते हैं।
- पशुओं के द्वारा प्राप्त गोबर घर या गांव के आस-पास डालते हैं जिसका प्रयोग कम्पोस्ट खाद बनाने में बहुत कम करते हैं।
- गोबर का प्रयोग कंडे तैयार करने में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- गेहूं व धान के खेत की कटाई मशीन से होने की स्थिति में खेत में फसल अपशिष्ट जला देते हैं।
- बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है जिसके पत्ते खेत में ही जला देते हैं।
- गांव स्तर पर कुटीर उद्योगों की कमी है। खेती अलावा कोई भी अन्य उत्पादन कार्य नहीं होता है।
- ग्राम पंचायत के समीप सब्जी मंडी है लेकिन जब भारी मात्रा में सब्जी बाहर से आ जाती है तो स्थानीय सब्जी की कीमत बहुत गिर जाती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।
- खेती सम्बन्धी चर्चा हेतु गांव स्तर पर कोई परामर्श केन्द्र या संगठन नहीं है।
- सिंचाई पद्धति जल प्लावन वाली है जो अधिक पानी लेती है।
- साक्षरता दर कम होने विशेषकर महिलाओं में जागरुकता की कमी है और नई तकनीक के अपनाने की गति स्थिति में बहुत धीमी है।

#### 4. क्षमता विश्लेषण :-

कोई भी गांव आपदाओं के सन्दर्भ में प्रबन्धन व नियोजन की दृष्टिकोण से कितना सक्षम है यह समझना बहुत आवश्यक है। क्लाइमेट स्मार्ट गांव को बनाने के सन्दर्भ में सभी आपदाओं के साथ एक अतिरिक्त समझ की आवश्यकता होती है।

सकरौरा ग्रामीण ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में समुदाय से मिलकर चर्चा हुई गांव की क्षमता का आकलन किया गया। पिछले 25-30 वर्षों में हुये जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं एवं खतरों से गांव के संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन संसाधनों की पहचान से आपदाओं के खतरों से निपटने में आसानी होती है। संसाधन जितना कुशल, मजबूत और क्षमतावान होंगे नुकसान उतना ही कम होगा।

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण NH 30 B के दोनों ओर बसा है। यह राजमार्ग पूरब से पश्चिम की ओर जाता है जिसके उत्तर दिशा में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की उत्तर दिशा में 1 किमी की दूरी पर 6 गांव बसे हैं जबकि दक्षिण दिशा में सरयू नदी से सटे 11 गांव बसे हैं। इस गांव के बीच का एक बड़ा हिस्सा नगर पंचायत करनैलगंज में मिल गया है जिससे इसकी आबादी व क्षेत्र कम हुआ है।

इस ग्राम पंचायत के समीप 2 किमी की दूरी पर एक सब्जी मंडी है साथ ही ब्लाक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा एवं चारों तरफ जाने के लिए अच्छी सड़कों का जाल बिछा हुआ है।

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण की जलवायु नदी के समीप होने के नाते नम एवं भूमि अति उपजाऊ है। भूजल स्तर 12-15 फिट पर उपलब्ध है। 12 तालाब हैं जो सतही जल स्तर को बराबर बनाये रखते हैं और नगदी फसल के रूप में गन्ना और सब्जी का उत्पादन बहुतायत की मात्रा में होता है। ग्राम पंचायत की बसाहट में आम, नीम, गूलर, बरगद आदि के पौधे लगे हैं।

### **सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य :-**

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के सुविधा संसाधनों का विश्लेषण कर तीन भागों में विभक्त किया गया है जिसमें भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधन का संकलन किया गया है जो निम्न है -

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधायें आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। उपलब्ध सुविधाओं तक पहुंच समुदाय की किस स्तर की है यह उनके आपदा प्रभाव के स्तर को निर्धारित करती है। संसाधनों से जुड़े

तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण समुदाय व हितभागियों के सहयोग से संकलित किया गया है।

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व संख्या	गांव से दूरी
1	प्राथमिक विद्यालय सुतिया गोडियनपुरवा	01	श्री सईद अहमद-8573939583	01 किमी
2	कम्पोजिट विद्यालय महतो पुरवा	01	श्री सुरेश यादव-6387281732	02 किमी
3	पंचायत भवन	01	—	00 किमी
4	सरकारी राशन की दुकान	02	श्रीमती शकुंतला सिंह-9559404300	01 किमी
5	थाना करनैलगंज	01	—	02 किमी
6	तहसील करनैलगंज	01	—	—
7	फायर स्टेशन	01	गोण्डा जनपद मुख्यालय	22 किमी
8	विकास खण्ड करनैलगंज	01	—	02 किमी
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करनैलगंज	01	—	02 किमी
10	पोस्ट आफिस करनैलगंज	01	—	02 किमी
11	विद्युत कार्यालय करनैलगंज	01	—	02 किमी
12	पोस्ट आफिस करनैलगंज	01	—	02 किमी
13	विद्युत कार्यालय करनैलगंज	01	—	02 किमी
14	इन्टर कालेज करनैलगंज	04	—	02 किमी
15	डिग्री कालेज करनैलगंज	02	—	02 किमी
16	बस स्टेशन करनैलगंज	01	—	02 किमी
17	रेलवे स्टेशन करनैलगंज	01	—	03 किमी
18	बैंक करनैलगंज	04	—	04 किमी
19	बाजार करनैलगंज	01	—	00 किमी
20	खाद बीज दवा केन्द्र	01	—	02 किमी
21	आपदा केन्द्र, गोण्डा	01	जिला मुख्यालय	22 किमी
22	जिला चिकित्सालय	01	—	22 किमी
23	जिलाधिकारी कार्यालय	01	जिला मुख्यालय, गोण्डा	22 किमी

मानव संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी :-

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व सम्पर्क संख्या	दूरी
------	-------	--------	---	------

1	ग्राम प्रधान	01	श्री परागदत्त गुप्ता-9453599000	ग्राम पंचायत
2	प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	01	श्री सर्द अहमद-8573939583	ग्राम पंचायत
3	प्राथमिक शिक्षक कम्पोजिट विद्यालय महतो	01	श्री सुरेश यादव 6387281732	ग्राम पंचायत
4	आंगनबाड़ी	05	—	ग्राम पंचायत
5	आशा बहू	01	—	ग्राम पंचायत
6	झोला छाप डाक्टर	06	—	ग्राम पंचायत
7	पंचायत सचिव	01	श्री विमलेश कुमार-9452133700	ग्राम पंचायत
8	रोजगार सेवक	01	श्री भानु प्रताप-9838892397	ग्राम पंचायत
9	विक्रेता राशन की दुकान-प्रथम	01	श्रीमती शकुन्तला सिंह-9559404300	ग्राम पंचायत
10	विक्रेता राशन की दुकान-द्वितीय	01	9935478720	ग्राम पंचायत
11	सफाई कर्मी	03	—	ग्राम पंचायत
12	पंचायत सहायक	01	—	ग्राम पंचायत
13	लेखपाल	01	श्री रमेश चन्द्र-9569966560	ग्राम पंचायत

### कृषिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी :-

क्रम	विवरण	संख्या	विवरण एवं सम्पर्क संख्या	दूरी
1	तालाब	12	9 गाँव में (सुदिया गयापुरवा व जानकीपुरवार में 2-2 शेष भीमापुरवा, कुन्नपुरवा, छतईपुरवा, वैरागी पुरवा, सुर्जीपुरवा, नाईपुरवा में 1-1 तालाब)	ग्राम पंचायत
2	कुँआ	08	8 पूरे ग्राम पंचायत में मिलाकर	ग्राम पंचायत
3	सरयू नदी	01	पश्चिमी दक्षिण लम्बाई 5 किमी	ग्राम पंचायत
4	बाग	02	बसुआ / गयापुरवा	ग्राम पंचायत
5	कृषिगत क्षेत्रफल	01	500 हेक्टेअर	ग्राम पंचायत
6	खुला क्षेत्र / सामुदायिक भूमि	01	5 एकड़	ग्राम पंचायत

### त्रैतीय संसाधन :-

उपरोक्त तीनों संसाधनों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों का विवरण निम्न है :-

क्रम	मद	वर्ष 2023-24 (रुपये में)
1	15वां वित्त आयोग	25,00,000
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत (OSR)	15,00,000

### क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेटरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम' अवधारणा के तहत ग्राम कार्ययोजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संलग्न कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण की कार्य योजना तालिका :-

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, साफ	तालाब का पुनरोद्धार एवं सुधार	बचरे से पट रहे गांव के मध्य में बने तालाब का पुनरोद्धार एवं साफ सफाई	गोडियन पुरवा सुदिया	8,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
2	सफाई एवं स्वच्छता	तालाब का पुनरोद्धार एवं सुधार	गांव के पश्चिम में बने तालाब का पुनरोद्धार एवं साफ सफाई	गोडियनपुरवा सुदिया	6,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
3		तालाब का पुनरोद्धार एवं सुधार	गांव के पश्चिमी छोर पर गांव और पगडंडी के बीच बने तालाब की मरम्मत एवं पुनरोद्धार कार्य	वैरागीपुरवा	10,00,000	4 माह	मनरेगा



4	तालाब का पुनरोद्धार एवं सुधार	भयापुरवा में स्थित दोनों तालाबों का पुनरोद्धार एवं किनारों को विकसित करना	मयापुरवा	5,00,000	3 माह	मनरेगा
5	तालाबों का साफ सफाई एवं पुनरोद्धार तथा छायादार पट्टी तैयार करना	तालाबों का जल उपयोगी बनाना एवं मत्स्यपालन योग्य तैयार करना व छायादार पट्टी तैयार करना	भीम्मापुरवा के 1, कुन्तूपुरवा के 1, जानकीपुरवा के 2 व छतईपुरवा के 2 तालाब	10,00,000	5 माह	15वां वित्त मनरेगा
6	तालाबों का साफ सफाई एवं पुनरोद्धार तथा छायादार पट्टी तैयार करना	तालाब के चारों ओर साफ सफाई, वृक्षारोपण एवं छायादार पट्टी तैयार करना	सूजीपुरवा-1 नाई पुरवा-1	8,00,000	3 माह	मनरेगा
7	गांव तक सम्पर्क मार्ग की स्थापना व सहज आवागमन सुनिश्चित करना	भीम्मापुरवा गांव में पहुंचना सहज करना बाहरी व आन्तरिक सम्पर्क मार्ग का चरणबद्ध तरीके से निर्माण	भीम्मापुरवा	10,00,000	5 माह	15वां वित्त, मनरेगा
8	16 उच्चकृत हैन्डपम्प की स्थापना	बाढ़ प्रभावित सभी 7 गांवों में आबादी के अनुरूप प्रति 20 परिवार	गोडियनपुरवा-6, नाईपुरवा-1, परसादीपुरवा-1, खालेपुरवा-5, मयापुरवा-1, दुखीपुरवा-1, भगलनपुरवा-1	5,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
9	गोबर गैस संयंत्र की स्थापना	पशुपालन का व्यवसाय करने वाले गांवों में 10 माडल बायोगैस संयंत्र की स्थापना	गोडियनपुरवा-4, प्रधानपुरवा-4, भगलनपुरवा-2	6,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
10	अजैविक/जैविक कूड़ा प्रबन्धन	गोडियनपुरवा, खालेपुरवा, छतईपुरवा, भीम्मापुरवा में कूड़ा निस्तारण हेतु पिट निर्माण जिसमें घरेलू व प्लास्टिक	गोडियनपुरवा-2, छतईपुरवा-2, खालेपुरवा-2, भीम्मापुरवा-2	5,00,000	3 माह	मनरेगा/स्वच्छ भारत मिशन

			आधारित कूड़ा निस्तारित हो				
11		नाडेप जैविक खाद पिट का निर्माण	सब्जी उत्पादन करने वाले परिवारों को रासायनिक खाद प्रयोग न करने हेतु 100 वर्मी कम्पोस्ट एवं 20 नाडेप कम्पोस्ट पिट तैयार करना	गोडियनपुरवा-25, छतईपुरवा-15, खालेपुरवा-25, दुखीपुरवा-5, गोसाईपुरवा-5, बसुहा-10, भगनलपुरवा-15	6,00,000	6 माह	मनरेगा, 15वां वित्त आयोग
12		शौचालय निर्माण	14 विकलांग निवासित परिवारों में सुयोग्य शौचालय का निर्माण	पूरा ग्राम पंचायत	2,10,000	4 माह	भारत स्वच्छ मिशन
13		शरण स्थल निर्माण	बाढ़ के दौरान सुरक्षित प्रवास हेतु 10 पशुशरण स्थल निर्माण कार्य	गोडियनपुरवा-2, भयापुरवा-1, दुखीपुरवा-1, गोपीपुरवा-1, भगनलपुरवा-1, भगोलेपुरवा-1, खालेपुरवा-3	3,00,000	6 माह	मनरेगा
14	सेक्टर-2, बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	सड़क का निर्माण कार्य	सरयू डिग्री कालेज से गोडियनपुरवा तक का मार्ग उच्चीकरण एवं इन्टरलाकिंग कार्य	गोडियनपुरवा	12,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
15		सोलर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करना	बाढ़ प्रभावित सभी गांवों की गलियों में 30 सोलर ऊर्जा के माध्यम से प्रकाशित करना	गोडियनपुरवा-8, खालेपुरवा-8, दुखीपुरवा-2, भगनलपुरवा-4, मयापुरवा-1, गोपीपुरवा-2, नाईपुरवा-1, भगोलेपुरवा-1	6,00,000	3 माह	15वां वित्त आयोग
16	आजीविका कृषि व पशुपालन	अस्थायी पशुशरण स्थल का निर्माण	बाढ़ प्रभावित गांवों के पशुओं को बरसात के दौरान सुरक्षित रखने के लिए पशु शरण स्थल का निर्माण एवं छायादार वृक्षों से आच्छादन	गोडियनपुरवा-3, खालेपुरवा-3	6,00,000	4 माह	मनरेगा
17		नर्सरी का निर्माण	ग्राम पंचायत स्तर पर फलदार एवं साग	गोसाईपुरवा-1	2,00,000	6 माह	आजीविका I मिशन

			सब्जी के लिए नर्सरी की स्थापना जो समूह के माध्यम से संचालित हो				
18		जलवायु अनुकूलन हेतु जागरुकता शिविर एवं शैक्षिक भ्रमण	ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि क्षति को बचाने के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन एवं 2 शैक्षिक भ्रमण	गोडियनपुरवा-1, खालेपुरवा-1, छतईपुरवा-1, कृषि विज्ञान केन्द्र-1, बागवानी केन्द्र, लखनऊ	2,00,000	1 वर्ष	कृषि विभाग

17 - Sakraura Gramin, Gonda

## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

### वातावरण निर्माण :-

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण में 10 से 13 फरवरी 2023 तक भ्रमण करते हुये विस्तृत जानकारी प्रत्येक गांव/टोले की करते हुये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा हुई। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण एक दिन में 4 पुरवों से अधिक की समझ नहीं बनायी जा सकती थी और समझना भी मुश्किल था और हर पुरवे की स्थिति परिस्थिति भी अलग है।

### खुली बैठक :-

20 फरवरी 2023 को एक खुली बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित किया गया जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक व अन्य हितभागियों सहित सभी पुरवों का प्रतिनिधित्व शामिल था।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक-1

### ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण) :-

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने के लिए बैठक में उपस्थित सभी हितभागियों व लोगों के साथ पुरवों का भ्रमण किया गया था जिसमें यह निकलकर आया कि पूरे ग्राम पंचायत में 12 तालाब प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं और सरयू नदी का सीमा रेखा पर होना एक अवसर है। पूरा क्षेत्र अति उपजाऊ है और भूमिगत जल ऊपर है। पूरा ग्राम पंचायत दो हिस्सों में बटा है। उत्तरी छोर पर 6 पुरवे व दक्षिणी छोर पर 11 पुरवे हैं। बीच में रेलवे लाइन, राष्ट्रीय मार्ग व करनैलगंज कस्बा स्थित है। दो छोर पर बसे गांव के बीच में 3 किमी का फासला है।

(विस्तृत विवरण हेतु संलग्न-2 देखे)

### सामाजिक मानचित्रण :-

सभी 17 पुरवों के भ्रमण के पश्चात गोडियनपुरवा में बनाये गये सामाजिक मानचित्रण से निम्न दृश्य उभरता है।

### वातावरण निर्माण :-

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण के अगले वित्तीय वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार रोजगार सेवक एवं अन्य हितभागियों द्वारा ग्राम सचिव ने करवाया तथा 10, 11 व 12 फरवरी 2023 को सभी 17 पुरवों का भ्रमण कर वहीं गांव स्तर पर गांव विशेष की भौगोलिक व भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र किया गया। प्रत्येक गांव की बसाहट एवं संसाधनों की स्थिति भिन्न-भिन्न है अतः तदनुरूप कार्ययोजना की दृष्टि से वहां के लोगों से चर्चा की गयी थी।



दिनांक 20 फरवरी 2023 को गोडियनपुरवा में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया जिसमें गांव के लोग उपस्थित थे। लोगों ने सामाजिक मानचित्रण करते समय जल प्रवाह प्रणाली एवं बाढ़ की स्थिति का विशेष उल्लेख किया। हर साल सरयू की बाढ़ से जहां तबाही होती है वहीं ग्राम पंचायत में फैले 12 तालाब पूरी स्थिति को सहज बनाते हैं। गर्मी महीने में पड़ने वाले भीषण गर्मी और अगस्त के महीने का सूखा गांव की स्थिति को बिगाड़ देते हैं।

### खुली बैठक :-

ग्राम पंचायत भवन में आयोजित खुली बैठक में ग्राम प्रधान श्री पराग दत्त गुप्ता, ग्राम सचिव श्री विमलेश मिश्रा, रोजगार सेवक श्री भानु प्रताप, सफाई कर्मी के अलावा अन्य हितभागियों

सहित सभी पुरवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्राम पंचायत सचिव ने बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के योजना निर्माण हेतु गांव में घटित हो रहे सभी प्राकृतिक घटनाओं के साथ परिवार स्तर पर लोगों के द्वारा आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रबन्धन के अतिरिक्त दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले कचरे का निपटान, प्लास्टिक का प्रयोग, कृषिगत फसलों के अवशेषों का निपटान और पशुपालन के कारण हो रहे गोबर के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग और कीटनाशकों व खरपतवार नियन्त्रण में प्रयुक्त दवाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्राप्त सभी तथ्यों के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा।

संलग्नक-02

ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, अग्रणी ग्रामवासियों ने योजना निर्माण हेतु सहजकर्ता दल के साथ ग्राम पंचायत का भ्रमण किया और प्रत्येक गांव की बसाहट व प्राकृतिक व भौतिक संसाधनों का चिन्हांकन किया जो निम्न है :-

### ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियां

बसाहट	<p>ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण में कुल 17 पुरवे हैं। पंचायत की बसाहट दो हिस्सों व दो भौगोलिक स्थितियों में है। ग्राम पंचायत के बीच में रेलवे लाइन व राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त करनैलगंज कस्बा स्थित है।</p> <p>पंचायत के उत्तरी ओर 6 गांव बसे हैं जो रेलवे लाइन के समानन्तर बसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक उत्तर 500 मीटर की दूरी पर भीम्भापुरवा और वहीं से 500 मीटर की दूरी पर कुन्तूपुरवा व जानकीपुरवा बसा है। जानकीपुरवा से 500 मीटर की दूरी पर छतई पुरवा बसा है। इन सभी गांव का रास्ता बहुत संकीर्ण है। यह गांव रेलवे लाइन और हजूरमार्ग के पूर्व में बसे हैं। पश्चिम दिशा में वैरागीपुरवा व सूजी पुरवा बसा है।</p> <p>पंचायत के दक्षिण इलाके में 11 पुरवे हैं जो NH 30 B से 2 किमी दूर एक दूसरे से 500 मी की दूरी पर बसे हैं। पंचायत भवन के पूर्व बसुहा, गोसाइपुरवा, भगलनपुरवा, गोपीपुरवा व दुखीपुरवा बसा है जबकि पश्चिम में मयापुरवा, गोडियनपुरवा, परसादीपुरवा, नाईपुरवा, भगोलेपुरवा व खालेपुरवा बसा है।</p>
ताल तलैया	<p>ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण में कुल 12 बड़े तालाब हैं और जल संग्रहण कई क्षेत्रों में कुछ समय के लिए होता है। सरयू नदी गांव के पश्चिम दक्षिण में बहती है। मछली पालन का एक सरकारी केन्द्र भी स्थित है। कई तालाब 2-3 हेक्टेअर के हैं।</p>
बाग बगीचा	<p>प्रत्येक गांव की बसाहट में छोटे बड़े पेड़ शामिल हैं लेकिन अलग से कोई बड़ा बगीचा नहीं है। हर गांव के चारों तरफ व बीच में कहीं-कहीं पेड़ हैं जो पुराने हैं। कुछनयी बसाहट में नये आम के पौधे लगाये गये हैं।</p>
भौतिक संसाधन	<p>गांव भौतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। तहसील स्तर तक सभी कार्यालय 3 किमी की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक विद्यालय, इन्टर कालेज, डिग्री कालेज, आई.टी.आई., व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लाक व तहसील सभी उपस्थित है। समाधान दिवस पर जिले स्तर के अधिकारी उपस्थित होते हैं।</p>

20 - Sakraura Gramin, Gonda



### सामाजिक मानचित्रण :-

सभी पुरवों के भ्रमण के पश्चात ग्राम सुदिया गोडियनपुरवा में लोगों द्वारा सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया जिसके आधार पर प्राप्त सूचनायें निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं :-

विषय	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत का पूरा रकबा	600 हेक्टेअर	ग्राम पंचायत के सभी 17 पुरवों की बसाहट व कृषि क्षेत्र सहित
कुल पुरवों की संख्या	17	भीम्मा पुरवा, जानकीपुरवा, कुन्नुपुरवा, दुजई पुरवा, सूजीपुरवा, वैरागीपुरवा, बसुहा, गोसाईपुरवा, भागलपुरवा, गोपीपुरवा, दुखीपुरवा, मयापुरवा, परसादी पुरवा, नाई पुरवा, भगोलेपुरवा व सुदिया गोडियनपुरवा
कुल घरों की संख्या	675	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत
पक्के घरों की संख्या	380	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत
कच्चे घरों की संख्या	295	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	290	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत
विकलांगजनों की संख्या	14	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	20	सभी पुरवों के पूरा ग्राम पंचायत



21 - Sakraura Gramin, Gonda

## जातिगत/श्रेणीगत विवरण :-

सामान्य जाति के घरों की संख्या	145
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	445
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	85

ग्राम पंचायत की बसाहट से 12 किमी की दूरी पर घाघरा नदी बहती है जिसका पानी सरयू नदी से प्रायः मिल जाता है। इस गांव में घाघरा नदी की कटान से विस्थापित परिवार भी आकर बसे हैं।

675 परिवारों वाले इस ग्राम पंचायत में यादव, गोडिया, गुप्ता, मुस्लिम आदि पिछड़ी जातियों सहित अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। पंजाब से आकर 6 परिवार फार्म हाउस व बड़े कृषि मशीनों के साथ रहकर अपना जीवन यापन व सहयोग करते हैं तथा यहाँ के लोगों की बड़ी मदद करते हैं।


पूरे ग्राम पंचायत में 14 विकलांग हैं और 20 परिवारों की मुखिया महिला हैं। यहां केवल 40 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

## आजीविका के साधन

ग्राम पंचायत में आजीविका के साधनों का विवरण निम्न है :-

आजीविका के साधन	व्यक्तियों की संख्या
सेवा क्षेत्र में कार्यरत संख्या	40
कृषि क्षेत्र	650
पशुपालन से जुड़े परिवार	425
दुकान/व्यवसाय (स्थानीय)	120
व्यवसाय शहरी क्षेत्र	25
दैनिक दिहाड़ी	150





23 - Sakraura Gramin, Gonda

### आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा एवं घटनाक्रम :-

सकरौरा ग्रामीण ग्राम पंचायत में आपदाओं का इतिहास समझने व उसकी समयरेखा को जानने के लिए कब-कब बड़ी आपदायें घटित हुई हैं लोगों से विस्तृत चर्चा की गयी एवं उन आपदाओं से होने वाला नुकसान व सीधे तौर पर कौन प्रभावित हुये। लोगों को चिन्हित व अंकित किया गया। बाढ़ एवं सूखा तथा शीतलहर यहाँ की प्रमुख आपदायें हैं और कोरोना की दो बड़ी लहरें भी भीषण आपदाओं में से एक साबित हुई। लाकडाउन के कारण सब्जी के दाम काफी गिरे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी मूल पूंजी भी समाप्त हुई और अब सब्जी उत्पादन में उनकी रूचि नहीं रही जबकि इस गांव के लिए सब्जी उत्पादन एक बड़ा व्यवसाय रहा है। आपदाओं की ऐतिहासिक समयरेखा निम्न है :-

क्रम	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु विभाग का कार्य
1	1982	बाढ़	भारी बारिश व पहाड़ी पानी, घाघरा व सरयू नदी का योग	12	3500	500 हेक्टेअर कृषि क्षति	कोई कार्य नहीं
2	2002	बाढ़	भारी बारिश व पहाड़ी पानी, घाघरा व सरयू नदी का योग	10	3500	400 हेक्टेअर कृषि क्षति	कोई कार्य नहीं
3	2007	बाढ़	घाघरा का पानी सरयू से मिला	0	3000	350 हेक्टेअर कृषि क्षेत्र	कोई कार्य नहीं
4	2021	कोरोना	कोविड 19 बीमारी का प्रकोप	8	पूरा गांव	दवा का खर्चा बढ़ा, सब्जियों के दाम गिरे	टीकाकरण व सफाई
5	2022	सूखा	तापक्रम अधिक / वर्षा नहीं	0	पूरा गांव	गेहूँ का उत्पादन 2/3 घटा	शून्य
6	2022	बाढ़	अतिवृष्टि एवं पहाड़ी पानी	0	पूरा	सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र 500 हे. अति प्रभावित 80 प्रतिशत नुकसान	शून्य

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रम	आजीविका के प्रकार	परिवार संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	350	बाढ़				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 300 हेक्टेअर भूमि की फसल नष्ट हो जाती है।</li> <li>● सभी 11 पुरवों का आवागमन बाधित हो जाता है।</li> <li>● रबी फसल की बुआई देर से होती है।</li> <li>● खरीफ फसल 150 हेक्टेअर में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।</li> <li>● हरे चारे का संकट हो जाता है।</li> <li>● घर में रखा भूसा नष्ट हो जाता है।</li> </ul>
		600	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● 500 हेक्टेअर खेत की फसल सूख जाती है।</li> <li>● सिंचाई अधिक करनी पड़ती है।</li> <li>● उत्पादन खर्च बढ़ जाता है।</li> <li>● उत्पादन हो जाता है।</li> <li>● पशुओं के लिए चारा संकट खड़ा हो जाता है।</li> </ul>
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● आलू व सरसों का उत्पादन कम हो जाता है।</li> <li>● नगदी फसल बर्बाद हो जाती है।</li> </ul>
2	पशुपालन	200	बाढ़				<ul style="list-style-type: none"> <li>● पशुओं में बीमारी बढ़ जाती है।</li> <li>● पशु आहार की कमी हो जाती है।</li> <li>● सुरक्षित पेयजल की कमी हो जाती है।</li> <li>● दवाओं का खर्चा बढ़ जाता है।</li> <li>● हरा चारा समाप्त हो जाता है।</li> <li>● दूधास पशुओं का दूध कम हो जाता है।</li> </ul>
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● दूध उत्पादन लागत बढ़ जाती है।</li> <li>● हरा चारा का संकट हो जाता है।</li> <li>● बीमारियां बढ़ जाती है।</li> <li>● भूसा आदि महंगा हो जाता है।</li> <li>● भैंसों को नहलाना मुश्किल हो जाता है।</li> <li>● बकरियों में बीमारियां जानलेवा हो जाती हैं।</li> </ul>
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● बकरियों की मृत्युदर बहुत बढ़ जाती है।</li> <li>● हरे चारे का संकट होता है।</li> <li>● टंडक से पशुओं को बचाना मुश्किल हो जाता है।</li> </ul>
3	मजदूरी	300	बाढ़				<ul style="list-style-type: none"> <li>● मजदूरी के अवसर शून्य हो जाते हैं।</li> <li>● आवागमन बाधित हो जाता है।</li> <li>● घर की सुरक्षा व बाहर मजदूरी पर जाना मुश्किल हो जाता है।</li> <li>● कृषि मजदूरी के अवसर समाप्त हो जाते हैं।</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>● मजदूरी दर कम हो जाता है।</li> </ul>
	400	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● खेती सम्बन्धी मजदूरी के अवसर में कमी।</li> <li>● मजदूरी के अवसर बाहर भी नहीं मिलते।</li> <li>● पारिवारिक आर्थिक संकट बढ़ता है।</li> <li>● अधिक पलायन होता है।</li> <li>● जीवनयापन मुश्किल।</li> <li>● महंगाई बढ़ जाती है।</li> </ul>
	400	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● मजदूरी के अवसर कम हो जाते हैं।</li> <li>● शहरों की ओर पलायन बढ़ता है लेकिन मंदी अधिक रहती है।</li> <li>● मजदूरी के दौरान सुरक्षा/ठहराव खुले में मुश्किल होता है।</li> </ul>

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्लान को तैयार करने हेतु सहयोगी दल

पंचशील डेवलपमेन्ट ट्रस्ट, बहराइच

1. ध्रुव कुमार
2. श्री राम तेज यादव
3. श्री आलोकित कश्यप
4. सुश्री रिंकी वर्मा
5. सुश्री रिंकी देवी

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>96</sup> = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>97</sup> = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>98</sup> = ₹ 40,000/हेक्टेयर<sup>99</sup></p>	

96 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

97 लागत बाजार भाव के अनुसार

98 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

99 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी करना	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <p>- मेड़बंधी कृषि क्षेत्रों की परिधि पर की जाती है</p> <p>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार हैं।</p>	1 मी. मेड़बंधी के लिए <sup>100</sup> = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>101</sup> = ₹ <b>90,000</b>	

100 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

101 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती को अपनाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ <b>60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ <b>33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ <b>2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत<sup>102</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = ₹ <b>2,47,100</b></p>	

102 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## जल निकायों का प्रबंधन कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>103</sup> = <b>₹ 35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹ 35,000</b></p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>104</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹ 7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = <b>₹ 7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹ 1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹ 3, 75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹ 50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹ 20 प्रति यूनिट</b></p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	<p>अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें</p>	

103 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

104 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<b>चरण 1:</b> सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य <b>चरण 2 और 3:</b> सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत <sup>105</sup> : <b>₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर</b>	
2	मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 &amp; 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

105 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 3:</b> a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>106</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>107</sup> = ₹ 15,000 3. प्लास्टिक थ्रेडर यूनिट <sup>108</sup> = ₹ 50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न <sup>109</sup> की जा सकती है = किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2	
		<b>चरण 2 और 3:</b> a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>110</sup> : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000	

106 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

107 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

108 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

109 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

110 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<b>चरण 1:</b> a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<b>चरण 2:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<b>चरण 3:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सोलर रूफटॉप स्थापना	<p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट एमएनआरई और मौजूदा बाज़ार दरों के अनुसार लागत<sup>111</sup>= ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = _____ टन CO<sub>2</sub></p>
	<p><b>चरण 2 और 3:</b></p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

111 एमएनआरई और मौजूदा बाज़ार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना	<b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% <b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित  कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर  वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)  प्रति किलोवाट लागत <sup>112</sup> = ₹ 1 लाख  प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	<b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप  कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट  वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)  प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365  प्रति पंप लागत <sup>113</sup> = ₹ 3 से 5 लाख	डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष  प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390  उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO <sub>2</sub> e)

112 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

113 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ <b>50,000</b> 2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ <b>45,000</b></p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ <b>3,000</b><sup>114</sup></p>	
5	ऊर्जा दक्षता/ ऊर्जा कुशल फिक्सचर (ईई)	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्सचर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्सचर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ <b>70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ <b>220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ <b>1,110</b><sup>115</sup></p>	

114 बाजार दर के अनुसार लागत

115 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीट लाइट	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹ 50,000</b> 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹ 10,000</b> <sup>116</sup>	

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत <sup>117</sup> : <b>₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट</b>	
---	---	--------------------------	---	--

116 बाजार दर के अनुसार लागत

117 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत



# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

### औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b>			
एकौरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
<b>अन्य पेड़</b>			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



